



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 25
17 आषाढ़ 1942 (श०)
पटना, बुधवार, —
8 जुलाई 2020 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-48	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। ---	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---	भाग-9-विज्ञापन ---
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 49-49	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। ---	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 50-50
भाग-4-बिहार अधिनियम ---	पुरक ---
	पुरक-क 51-53

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

पटना उच्च न्यायालय, पटना

अधिसूचनाएं

1 फरवरी 2020

संख्या 18 नि०: निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे अधिष्ठित रहेंगे पर असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के रूप में पदोन्नत किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा (11) की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, स्तम्भ-3 में अंकित अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30:70 के अनुपात में हो।

क्रम संख्या	पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान (जजी सहित)	अ) नये स्थान का पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी/स्थान जहाँ नियुक्त किये जाते हैं।
1.	श्री पंकज कुमार लाल अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, सहरसा (सहरसा)	अ) अवर न्यायाधीश- सह -अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) सहरसा स) सहरसा
2.	श्री अतुल सिन्हा न्यायिक दण्डाधिकारी (रेलवे), गया (गया)	अ) अवर न्यायाधीश- सह -अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) गया स) गया
3.	श्री रोहित कुमार I मुंसिफ, दरभंगा (दरभंगा)	अ) अवर न्यायाधीश- सह -अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) दरभंगा स) दरभंगा
4.	श्री सीतेश कुमार मुंसिफ-सह-न्यायिक दण्डाधिकारी, तेघड़ा (बेगूसराय)	अ) अवर न्यायाधीश- सह -अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) तेघड़ा स) बेगूसराय
5.	श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय II अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, नौगछिया (भागलपुर)	अ) अवर न्यायाधीश- सह -अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) नौगछिया स) भागलपुर
6.	श्री शिव कुमार शर्मा मुंसिफ, अररिया (अररिया)	अ) अवर न्यायाधीश- सह -अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) अररिया स) अररिया
7.	श्री शिव कुमार मुंसिफ-सह-न्यायिक दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)	अ) अवर न्यायाधीश- सह -अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) उदाकिशुनगंज स) मधेपुरा

8.	श्री सुशील प्रसाद न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, सीतामढ़ी (सीतामढ़ी)	अ) अवर न्यायाधीश— सह —अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) सीतामढ़ी स) सीतामढ़ी
9.	श्री दीपक कुमार IV मुंसिफ, बिक्रमगंज (रोहतास)	अ) अवर न्यायाधीश— सह —अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) बिक्रमगंज स) रोहतास
10.	श्री शंभू दास मुंसिफ—सह—न्यायिक दण्डाधिकारी, पालीगंज (पटना)	अ) अवर न्यायाधीश— सह —अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) पालीगंज स) पटना
11.	श्री सुनील कुमार मुंसिफ, रोसड़ा (समस्तीपुर)	अ) अवर न्यायाधीश— सह —अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) रोसड़ा स) समस्तीपुर
12.	श्री मनोज कुमार VII न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, बाढ़ (पटना)	अ) अवर न्यायाधीश— सह —अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) बाढ़ स) पटना
13.	श्री लाल बहादुर प्रसाद मुंसिफ—सह—न्यायिक दण्डाधिकारी, बीरपुर (सुपौल)	अ) अवर न्यायाधीश— सह —अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) बीरपुर स) सुपौल

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एस0 के0 पनवार, महानिबंधक प्रभारी।

The 1st February 2020

No. 18 A—The Judicial Officers of the cadre of Civil Judge (Junior Division), named in column no. 2 of the table given below have been promoted to the cadre of Civil Judge (Senior Division) and on promotion they are appointed and posted in the manner as indicated in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Judicial Officers named below who have been appointed as Sub-Judge-cum- A.C.J.M., the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned Districts, provided that they shall work in such a way that their disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70.

Sl. No.	Name of the officers, designation and present place of posting (with Judgeship)	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship in which appointed on promotion
1	2	3
(a)	Sri Pankaj Kumar Lal S.D.J.M., Saharsa (Saharsa)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Saharsa c) Saharsa

(b)	Sri Atul Sinha Railway Magistrate, Gaya (Gaya)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Gaya c) Gaya
(c)	Sri Rohit Kumar I Munsif, Darbhanga (Darbhanga)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Darbhanga c) Darbhanga
(d)	Sri Sitesh Kumar Munsif-cum-J.M., Teghra (Begusarai)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Teghra c) Begusarai
(e)	Sri Pramod Kumar Pandey -II S.D.J.M., Naugachia (Bhagalpur)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Naugachia c) Bhagalpur
(f)	Sri Shiv Kumar Sharma Munsif, Araria (Araria)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Araria c) Araria
(g)	Sri Shiv Kumar Munsif-cum-J.M., Udakishunganj (Madhepura)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Udakishunganj c) Madhepura
(h)	Sri Sushil Prasad J.M. 1 st Class, Sitamarhi (Sitamarhi)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Sitamarhi c) Sitamarhi
(i)	Sri Deepak Kumar IV Munsif, Bikramganj (Rohtas)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Bikramganj c) Rohtas
(j)	Sri Shambhu Das Munsif-cum-J.M., Paliganj (Patna)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Paliganj c) Patna
(k)	Sri Sunil Kumar Munsif, Rosera (Samastipur)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Rosera c) Samastipur
(l)	Sri Manoj Kumar-VII J.M. 1 st Class, Barh (Patna)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Barh c) Patna
(m)	Sri Lal Bahadur Prasad Munsif-cum-J.M., Birpur (Supaul)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Birpur c) Supaul

By order of the High Court,
S. K. Panwar, Registrar General I/C.

7 फरवरी 2020

सं० 22 नि०:—निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के पदाधिकारियों को, तालिका के स्तंभ-3 में निर्देशित स्थान एवं स्तम्भ 4 में दी गयी स्थानान्तरण श्रृंखला के अन्तर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य हेतु स्थानान्तरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान।	स्थान का नाम जहाँ पदाधिकारी स्थानान्तरित किए गए।	स्थानान्तरण श्रृंखला
1.	2.	3.	4.
1.	श्री कृष्ण कान्त त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगंज	सारण स्थित छपरा	सेवानिवृत्त श्री बेनी माधव के स्थान पर।
2.	श्री हरेन्द्र नाथ तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मधुबनी	बेगुसराय	सेवानिवृत्त श्री अशोक कुमार के स्थान पर।
3.	श्री बटेश्वर नाथ पाण्डेय, सचिव, बिहार विधान सभा, पटना	समस्तीपुर	स्थानान्तरित श्री चन्द्र शेखर झा के स्थान पर।
4.	श्री डा० रतन किशोर तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, लखीसराय	वैशाली स्थित हाजीपुर	स्थानान्तरित श्री प्रेम रंजन मिश्रा के स्थान पर।
5.	श्री बलराम दुबे, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, शिवहर	बांका	सेवानिवृत्त श्री अम्बरीश कुमार तिवारी के स्थान पर।
6.	श्री चन्द्र शेखर झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर	गया	स्थानान्तरित श्री नवनीत कुमार पाण्डेय के स्थान पर।
7.	श्री किशोर प्रसाद, निबंधक—सह—सचिव, पटना उच्च न्यायालय विधि सेवा आयोग—सह— संयुक्त निबंधक (न्यायिक), पटना उच्च न्यायालय, पटना	पूर्णियाँ	सेवानिवृत्त श्री कृष्ण गोपाल द्विवेदी के स्थान पर।
8.	श्री सम्पूर्णानंद तिवारी, संयुक्त सचिव (विधि) निगरानी विभाग, पटना	कैमूर स्थित भभुआ	सेवानिवृत्त श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव-1 के स्थान पर।
9.	श्री राजेश नारायण सेवक पाण्डेय, संयुक्त सचिव, बिहार राज्य विधि सेवा प्राधिकार, पटना	नवादा	सेवानिवृत्त श्री अनिल कुमार झा-1 के स्थान पर।
10.	श्री कृष्णा बिहारी पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना	सितामढ़ी	सेवानिवृत्त श्री बजरंगी शरण के स्थान पर।
11.	श्री पियुष कमाल दिक्षित, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, समस्तीपुर।	अररिया	सेवानिवृत्त श्री सत्येन्द्र नाथ ठाकुर के स्थान पर।
12.	श्री मनोज कुमार-1, स्पेशल सेक्रेटरी, सह—अपर लिगल रिमेमरन्सर, विधि विभाग, पटना	किशनगंज	स्थानान्तरित श्री कृष्णकान्त त्रिपाठी के स्थान पर।
13.	श्री बिष्णुदेव उपाध्याय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कटिहार	गोपालगंज	सेवानिवृत्त श्री शैलेन्द्र कुमार के स्थान पर।
14.	श्री शशि भूषण प्रसाद सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, आरा	सुपौल	सेवानिवृत्त श्री सुभाष चंद के स्थान पर।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एस० के० पनवार, महानिबंधक प्रभारी।

The 7th February 2020

No. 22 A:--The Following District and Sessions Judge rank officers, named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred and posted as District and Sessions Judges at the stations mentioned in column no. 3 of the table against their respective names and in chain as indicated in column no. 4 of the table given below :

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting.	Name of the station where the officer has been transferred.	Chain of Transfer
1.	2.	3.	4.
1.	Sri Krishna Kant Tripathi, District and Sessions Judge, Kishanganj.	Saran at Chapra	Vice Sri Beni Madhav Pandey, since retired.
2.	Sri Harendra Nath Tiwary, Principal Judge, Family Court, Madhubani.	Begusarai	Vice Sri Ashok Kumar, since retired.
3.	Sri Bateshwar Nath Pandey, Secretary, Bihar Legislative Assembly, Patna.	Samastipur	Vice Sri Chandra Shekhar Jha, since transferred.
4.	Sri Dr. Ratan Kishore Tiwary, Principal Judge, Family Court, Lakhisarai.	Vaishali at Hajipur	Vice Sri Prem Ranjan Mishra, since transferred.
5.	Sri Balram Dubey, Principal Judge, Family Court, Sheohar.	Banka	Vice Sri Ambrish Kumar Tiwary, since retired.
6.	Sri Chandra Shekhar Jha, District and Sessions Judge, Samastipur.	Gaya	Vice Sri Nawneet Kumar Pandey, since transferred.
7.	Sri Kishore Prasad, Registrar-cum-Secretary, Patna High Court Legal Services Committee-cum-Joint Registrar (Judicial), Patna High Court, Patna.	Purnea	Vice Sri Krishna Gopal Dwivedi, since retired.
8.	Sri Sampurnanand Tiwary, Joint Secretary (Legal), Vigilance Department, Government of Bihar, Patna.	Kaimur at Bhabhua	Vice Sri Om Prakash Srivastava-I, since retired.
9.	Sri Rajesh Narayan Sewak Pandey, Joint Secretary, Bihar State Legal Services Authority, Patna.	Nawadah	Vice Sri Anil Kumar Jha-I, since retired.
10.	Sri Krishna Bihari Pandey, Principal Judge, Family Court, Patna.	Sitamarhi	Vice Sri Bajrangi Saran, since retired.
11.	Sri Piyush Kamal Dixit, Principal Judge, Family Court, Samastipur.	Araria	Vice Sri Satyendra Nath Thakur, since retired.

12.	Sri Manoj Kumar-I, Special Secretary-cum- Additional Legal Remembrancer, Law Department, Patna.	Kishanganj	Vice Sri Krishna Kant Tripathi, since transferred.
13.	Sri Vishnudeo Upadhyay, Principal Judge, Family Court, Katihar.	Gopalganj	Vice Sri Shailendra Kumar, since retired.
14.	Sri Shashi Bhushan Prasad Singh, Principal Judge, Family Court, Ara.	Supaul	Vice Sri Subhas Chand, since retired.

**By order of the High Court,
S. K. Panwar, Registrar General I/C.**

7 फरवरी 2020

सं० 29 नि०:—निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, तालिका के स्तंभ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य हेतु स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित।	अ) नए स्थान का पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ स्थानांतरित किये गये हैं।
1.	2.	3.
1.	सुश्री शिल्पी सोनीराज, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वर्तमान में पदस्थापित संयुक्त निबंधक, स्थापना पटना उच्च न्यायालय, पटना	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब) जहानाबाद स) जहानाबाद
2.	श्री अखिलेश कुमार झा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्वी चम्पारण स्थित मोतिहारी।	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब) सिवान स) सिवान

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एस० के० पनवार, महानिबंधक प्रभारी।

The 7th February 2020

No. 29 A:—The Additional District and Sessions Judges, named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred and posted as Additional District and Sessions Judges in the Judgeship to be stationed ordinarily at the places mentioned in column no. 3 of the table against their respective names :

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting with Judgeship	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be ordinarily stationed at (c) Name of the Judgeship in which posted on transfer
1.	2.	3.
01.	Ms. Shilpee Soniraj, Additional District & Sessions Judge, presently posted as Joint Registrar	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Jehanabad (c) Jehanabad

	(Establishment), Patna High Court, Patna.	
02.	Sri Akhilesh Kumar Jha, Additional District & Sessions Judge, East Champaran at Motihari	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Siwan (c) Siwan

**By order of the High Court,
S. K. Panwar, Registrar General I/C.**

7 फरवरी 2020

सं० 23 नि० :—सेवानिवृत्त श्री विधु भूषण पाठक के स्थान पर, श्री नवनीत कुमार पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया को उनके पद भार ग्रहण करने की तिथि से, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार, पटना उच्च न्यायालय, पटना का महानिबंधक नियुक्त किया जाता है।

माननीय न्यायालय के आदेश से,
एस० के० पनवार, महानिबंधक प्रभारी।

The 7th February 2020

No. 23 A:—Hon'ble Court have been pleased to appoint Sri Nawneet Kumar Pandey, District & Sessions Judge, Gaya as Registrar General, Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office vice Sri Bidhu Bhushan Pathak since retired.

**By order of the Hon'ble Court,
S. K. Panwar, Registrar General.**

7 फरवरी 2020

सं० 30 नि० :—स्थानांतरित श्री किशोर प्रसाद के स्थान पर, श्री प्रेम रंजन मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली (हाजीपुर) को उनके पद भार ग्रहण करने की तिथि से, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार, पटना उच्च न्यायालय, पटना का निबंधक—सह—सचिव, पटना उच्च न्यायालय, पटना विधिक सेवा प्राधिकार नियुक्त किया जाता है।

माननीय न्यायालय के आदेश से,
एस० के० पनवार, महानिबंधक प्रभारी।

The 7th February 2020

No. 30 A :—Hon'ble Court have been pleased to appoint Sri Prem Ranjan Mishra, District & Sessions Judge, Vaishali at Hajipur as Registrar-cum-Secretary, Patna High Court Legal Services Committee, Patna with effect from the date he assumes charge of his office vice Sri Kishore Prasad since transferred.

**By order of the Hon'ble Court,
S. K. Panwar, Registrar General.**

7 फरवरी 2020

सं० 25 नि० :—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश,

कनीय कोटि) को स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) स्थानांतरण के उपरांत जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं।	जिला का नाम
1	2	3	4
1	श्री अखिलेश प्रताप सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, औरंगाबाद।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) दाउदनगर स) औरंगाबाद	औरंगाबाद

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एस0 एन0 पनवार, महानिबंधक प्रभारी।

The 7th February 2020

No. 25 A :---The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrate in the Judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officer named below, the powers of Judicial Magistrate 1st Class for the district noted against his name in column no. 4 of the table.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting	(a) Designation at the new station (b) Place where the Officer is to be ordinarily stationed at. (c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Name of the District
1	2	3	4
1.	Sri Akhilesh Pratap Singh, J.M. 1 st Class, Aurangabad	(a) Judicial Magistrate (b) Daudnagar (c) Aurangabad	Aurangabad

**By Order of the High Court,
S. N. Panwar, Registrar General I/C.**

7 फरवरी 2020

सं0 26 नि0:---निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर मुंसिफ एवं उच्च न्यायालय द्वारा दंडाधिकारी की आवश्यक शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट-2013 (ऐक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा 19 की उपधारा (2)

के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ-4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

स्तम्भ-4 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहा नियुक्त कि गये हैं	नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्गत (साधारण प्रक्रिया) ब) प्रोविन्सीयल स्मॉल कोजेज कोर्टस ऐक्ट 1987 के अंतर्गत
1	2	3	4
1.	श्री दिनेश कुमार न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, औरंगाबाद।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) ब) दाउदनगर स) औरंगाबाद	अ) दाउदनगर मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रुपये तक ब) दाउदनगर मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रुपये तक लघुवाद की शक्तियाँ

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एस० एन० पनवार, महानिबंधक प्रभारी।

The 7th February 2020

No. 26 A :---The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) in the judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

As mentioned in column no. 4, the officer is also vested with the powers under Sub-Section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (Act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 4, the officer is also vested with powers of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

The powers vested as per column no. 4, should not be exercised by the officer concerned unless it is published in the Bihar Gazette or in the District Gazette.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be ordinarily stationed at. (c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Special Power with which the Officer is vested at the new station (a) Under the Bengal, Agra and Assam Civil Court Acts (under ordinary procedure). (b) Under the provincial small causes Courts Act, 1987.
1	2	3	4
1	Sri Dinesh Kumar J.M. 1 st Class, Aurangabad	a. Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b. Daudnagar c. Aurangabad	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Daudnagar Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Daudnagar Munsifi.

**By Order of the High Court,
S. N. Panwar, Registrar General I/C.**

7 फरवरी 2020

सं० 31 नि०:—स्थानांतरित शिल्पी सोनीराज के स्थान पर, श्री रणवीर सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीवान (वर्तमान में विशेष कार्य पदाधिकारी पटना उच्च न्यायालय, पटना के रूप में प्रतिनियुक्त) को उनके पद भार ग्रहण करने की तिथि से, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार, पटना उच्च न्यायालय, पटना का संयुक्त निबंधक (स्थापना) नियुक्त किया जाता है।

माननीय न्यायालय के आदेश से,
एस० के० पनवार, महानिबंधक प्रभारी।

The 7th February 2020

No. 31 A:—Hon'ble Court have been pleased to appoint Sri Ranvir Singh, Additional District & Sessions Judge, Siwan, (presently on deputation as Officer on Special Duty, Patna High Court, Patna) as Joint Registrar (Establishment), Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office vice Ms. Shilpee Soniraj since transferred.

**By Order of the Hon'ble Court,
S. K. Panwar, Registrar General I/C.**

7 फरवरी 2020

सं० 32 नि. :—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि, को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे अधिष्ठित रहेंगे तथा स्तम्भ 4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में अवर न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है।

तदोपरान्त, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अवर न्यायाधीशों को स्तम्भ-5 में उल्लिखित उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

साथ ही उपर्युक्त संहिता की धारा 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त पदाधिकारियों को तालिका के स्तम्भ-3 में उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भी

नियुक्त किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी को उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित सत्र प्रमण्डल के लिए सहायक सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है।

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान (जजी सहित)	अ) नये स्थान का पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी/स्थान जहाँ नियुक्त किये जाते हैं	स्थानांतरण की शृंखला	जिला एवं सत्र प्रमण्डल का नाम
1	2	3	4	5
1.	श्री अनिल कुमार अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, कटिहार (कटिहार)	अ) अवर न्यायाधीश ब) आरा स) भोजपुर	श्री एस०के० शर्मा के स्थान पर	भोजपुर
2.	श्री राज कुमार चौधरी अवर न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दरभंगा (दरभंगा)	अ) अवर न्यायाधीश ब) भागलपुर स) भागलपुर	श्री ए० के० सिंह के स्थान पर	भागलपुर
3.	श्री अभय श्रीवास्तव अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सहरसा (सहरसा)	अ) अवर न्यायाधीश ब) सहरसा स) सहरसा	श्री भी० सिंह के स्थान पर	सहरसा
4.	श्री श्री प्रकाश अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नरकटियागंज (प० चम्पारण)	अ) अवर न्यायाधीश ब) बेतिया स) पश्चिमी चम्पारण	श्री जे० आर० प्रसाद के स्थान पर	पश्चिमी चम्पारण
5.	श्री विजय किशोर सिंह अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना (पटना)	अ) अवर न्यायाधीश ब) पटना स) पटना	श्री एम० द्विवेदी के स्थान पर	पटना
6.	श्री सुधीर कुमार सिन्हा अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, छपरा (सारण)	अ) अवर न्यायाधीश ब) मोतिहारी स) पूर्वी चम्पारण	श्री एस० डी० राय के स्थान पर	पूर्वी चम्पारण
7.	श्री संजय सिंह अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शेखपुरा (शेखपुरा)	अ) अवर न्यायाधीश ब) शेखपुरा स) शेखपुरा	श्री आर० कुमार के स्थान पर	शेखपुरा
8.	श्री राजेन्द्र कुमार सिन्हा अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, कटिहार (कटिहार)	अ) अवर न्यायाधीश ब) कटिहार स) कटिहार	श्री ए० कुमार के स्थान पर	कटिहार
9.	श्री चन्द्र बीर सिंह अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सीवान (सीवान)	अ) अवर न्यायाधीश ब) सीवान स) सीवान	श्री एस० सिन्हा के स्थान पर	सीवान
10	श्री अमित कुमार पाण्डेय अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सीवान (सीवान)	अ) अवर न्यायाधीश ब) नवादा स) नवादा	श्री ए०के० गुप्ता के स्थान पर	नवादा

11	श्री शरद चन्द्र कुमार अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, खगड़िया (खगड़िया)	अ) अवर न्यायाधीश ब) खगड़िया स) खगड़िया	श्री ए० आर० उपाध्याय के स्थान पर	खगड़िया
12	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सहरसा (सहरसा)	अ) अवर न्यायाधीश ब) जमुई स) जमुई	श्री यू० के० शर्मा के स्थान पर	जमुई
13	श्री श्री राम झा अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लखीसराय (लखीसराय)	अ) अवर न्यायाधीश ब) लखीसराय स) लखीसराय	श्री ए० के० शुक्ला के स्थान पर	लखीसराय
14	श्री विवेक राय अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बगहा (पश्चिमी चम्पारण)	अ) अवर न्यायाधीश ब) सुपौल स) सुपौल	श्री एन० के० ठाकुर के स्थान पर	सुपौल
15	श्री लल्लन कुमार अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, झंझारपुर (मधुबनी)	अ) अवर न्यायाधीश ब) मधुबनी स) मधुबनी	श्री एस० प्रकाश के स्थान पर	मधुबनी
16	श्री सुरेन्द्र कुमार मिश्रा अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भभुआ (कैमूर)	अ) अवर न्यायाधीश ब) भभुआ स) कैमूर	श्री एस० रंजन के स्थान पर	कैमूर
17	श्री अरविन्द अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, औरंगाबाद (औरंगाबाद)	अ) अवर न्यायाधीश ब) औरंगाबाद स) औरंगाबाद	श्री डी० के० प्रधान के स्थान पर	औरंगाबाद
18	श्री संजीव कुमार- I अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गया (गया)	अ) अवर न्यायाधीश ब) मधेपुरा स) मधेपुरा	श्री भी० प्रसाद के स्थान पर	मधेपुरा
19	श्री मो० सलीम अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बांका (बांका)	अ) अवर न्यायाधीश ब) बांका स) बांका	श्री जे० ए० खान के स्थान पर	बांका
20	श्री संतोष कुमार गुप्ता अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पीरो (भोजपुर)	अ) अवर न्यायाधीश ब) बिहारशरीफ स) नालन्दा	श्रीमति प्रतिभा के स्थान पर	नालन्दा
21	श्री आलोक कुमार पाण्डेय-II अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, हाजीपुर (वैशाली)	अ) अवर न्यायाधीश ब) सासाराम स) रोहतास	श्री ए० के० भान के स्थान पर	रोहतास
22	श्रीमति अनुपम कुमारी अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दरभंगा (दरभंगा)	अ) अवर न्यायाधीश ब) दरभंगा स) दरभंगा	श्री आर० के० चौधरी के स्थान पर	दरभंगा

23	श्री राजेश पाण्डेय अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गया (गया)	अ) अवर न्यायाधीश ब) सीतामढ़ी स) सीतामढ़ी	श्रीमति सरोज कुमारी के स्थान पर	सीतामढ़ी
24	श्री अजय कुमार-I पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, बेगूसराय (बेगूसराय)	अ) अवर न्यायाधीश ब) जहानाबाद स) जहानाबाद	श्री आर० कुमार के स्थान पर	जहानाबाद
25	श्री मुकेश कुमार-I अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी (मुजफ्फरपुर)	अ) अवर न्यायाधीश ब) मुजफ्फरपुर स) मुजफ्फरपुर	श्री एस० के० तिवारी के स्थान पर	मुजफ्फरपुर
26	श्रीमति कुमारी विजया अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बक्सर (बक्सर)	अ) अवर न्यायाधीश ब) गया स) गया	श्रीमति ए० सिंह के स्थान पर	गया
27	श्री रजनीश रंजन अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, हाजीपर (वैशाली)	अ) अवर न्यायाधीश ब) किशनगंज स) किशनगंज	श्री ए० के० सिंह के स्थान पर	किशनगंज
28	श्री जीतेश कुमार पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, छपरा (सारण)	अ) अवर न्यायाधीश ब) छपरा स) सारण	नूर सुल्ताना के स्थान पर	सारण
29	श्री अनिल कुमार ठाकुर अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वैशी (पूर्णियाँ)	अ) अवर न्यायाधीश ब) पूर्णियाँ स) पूर्णियाँ	श्री यू० कुमार के स्थान पर	पूर्णियाँ
30	श्री अकांक्षा कश्यप अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, छपरा (सारण)	अ) अवर न्यायाधीश ब) समस्तीपुर स) समस्तीपुर	श्री देशमुख के स्थान पर	समस्तीपुर
31	श्री आनंद कुमार सिंह-II अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बलिया (बेगूसराय)	अ) अवर न्यायाधीश ब) अररिया स) अररिया	श्री एस० राय के स्थान पर	अररिया

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एस० के० पनवार, महानिबंधक प्रभारी।

The 7th February 2020

No. 32 A :---The Judicial officers of the rank of Sub Judge (Civil Judge, Senior Division), named in column no. 2 of the table given below are transferred as Subordinate Judge in the Judgeships to be stationed ordinarily at the places mentioned in Column No. 3 and in the chain specified in Column No. 4 of the table .

Further, in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act-2 of 1974), the High Court are pleased to confer upon the Civil Judges (Senior Division) named in column no. 2 of the table, the powers of a Judicial Magistrate of the first Class for the District noted against their respective names in column no. 5 of the table.

Furthermore, in exercise of the powers conferred under Sub Section (1) of Section 12 of the said Criminal Procedure Code the officers are also appointed as Chief

Judicial Magistrate for the District noted against their respective names in column no. 5 of the table and in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section 9 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are also pleased to appoint the Judicial Officers named in column-2 of the table as Assistant Sessions Judge for the Session Division noted against their respective names in column-5 of the table.

Sl. No.	Name of the officer with designation and present place of posting (with Judgeship)	(a) Designation at the new station/place (b) Place where the officer is to be ordinarily stationed at (c) Name of the Judgeship in which Appointed on transfer	Chain of transfer	Name of the District and Sessions Division.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Sri Anil Kumar Sub Judge-cum-C.J.M., Katihar (Katihar)	a) Sub Judge b) Ara c) Bhojpur	Vice Sri S.K. Sharma	Bhojpur
2.	Sri Raj kumar Chaudhary Sub Judge-cum-C.J.M., Darbhanga (Darbhanga)	a) Sub Judge b) Bhagalpur c) Bhagalpur	Vice Sri A.K. Singh	Bhagalpur
3.	Sri Abhay Srivastava Sub Judge-cum-A.C.J.M., Saharsa (Saharsa)	a) Sub Judge b) Saharsa c) Saharsa	Vice Sri V. Singh	Saharsa
4.	Sri Shree Prakash Sub Judge-cum-A.C.J.M., Narkatiyaganj (West Champaran)	a) Sub Judge b) Bettiah c) West Champaran	Vice Sri J.R. Prasad	West Champaran
5.	Sri Bijay Kishor Singh Sub Judge-cum-A.C.J.M., Patna (Patna)	a) Sub Judge b) Patna c) Patna	Vice Sri M. Dwivedi	Patna
6.	Sri Sudhir Kumar Sinha Sub Judge-cum-A.C.J.M., Chapra (Saran)	a) Sub Judge b) Motihari c) East Champaran	Vice Sri S.D. Rai	East Champaran
7.	Sri Sanjay Singh Sub Judge-cum-A.C.J.M., Sheikhpura (Sheikhpura)	a) Sub Judge b) Sheikhpura c) Sheikhpura	Vice Sri R. Kumar	Sheikhpura
8.	Sri Rajendra Kumar Sinha Sub Judge-cum-A.C.J.M., Katihar (Katihar)	a) Sub Judge b) Katihar c) Katihar	Vice Sri A. Kumar	Katihar
9.	Sri Chandra Bir Singh Sub Judge-cum-A.C.J.M., Siwan (Siwan)	a) Sub Judge b) Siwan c) Siwan	Vice Sri S. Sinha	Siwan
10	Sri Amit Kumar Pandey Sub Judge-cum-A.C.J.M., Siwan (Siwan)	a) Sub Judge b) Nawada c) Nawada	Vice Sri A. K. Gupta	Nawada
11	Sri Sharad Chandra Kumar Sub Judge-cum-A.C.J.M., Khagaria (Khagaria)	a) Sub Judge b) Khagaria c) Khagaria	Vice Sri A.R. Upadhyay	Khagaria

12	Sri Manoj Kumar Srivastava Sub Judge-cum-A.C.J.M., Saharsa (Saharsa)	a) Sub Judge b) Jamui c) Jamui	Vice Sri U.K. Sharma	Jamui
13	Sri Shree Ram Jha Sub Judge-cum-A.C.J.M., Lakhisarai (Lakhisarai)	a) Sub Judge b) Lakhisarai c) Lakhisarai	Vice Sri A. K. Shukla	Lakhisarai
14	Sri Vivek Rai Sub Judge-cum-A.C.J.M., Bagaha (West Champaran)	a) Sub Judge b) Supaul c) Supaul	Vice Sri N. K. Thakur	Supaul
15	Sri Lallan Kumar Sub Judge-cum-A.C.J.M., Jhanjharpur (Madhubani)	a) Sub Judge b) Madhubani c) Madhubani	Vice Sri S. Prakash	Madhubani
16	Sri Surendra Kumar Mishra Sub Judge-cum-A.C.J.M., Bhabhua (Kaimur)	a) Sub Judge b) Bhabhua c) Kaimur	Vice Sri S. Ranjan	Kaimur
17	Sri Arvind Sub Judge-cum-A.C.J.M., Aurangabad (Aurangabad)	a) Sub Judge b) Aurangabad c) Aurangabad	Vice Sri D.K. Pradhan	Aurangabad
18	Sri Sanjeev Kumar I Sub Judge-cum-A.C.J.M., Gaya (Gaya)	a) Sub Judge b) Madhepura c) Madhepura	Vice Sri V. Prasad	Madhepura
19	Sri Md. Salim Sub Judge-cum-A.C.J.M., Banka (Banka)	a) Sub Judge b) Banka c) Banka	Vice Sri J.A. Khan	Banka
20	Sri Santosh Kumar Gupta Sub Judge-cum-A.C.J.M., Piro (Bhojpur)	a) Sub Judge b) Biharsharif c) Nalanda	Vice Ms. Pratibha	Nalanda
21	Sri Alok Kumar Pandey II Sub Judge-cum-A.C.J.M., Hajipur (Vaishali)	a) Sub Judge b) Sasaram c) Rohtas	Vice Sri A.K. Bhan	Rohtas
22	Smt. Anupam Kumari Sub Judge-cum-A.C.J.M., Darbhanga (Darbhanga)	a) Sub Judge b) Darbhanga c) Darbhanga	Vice Sri R.K. Chaudhary	Darbhanga
23	Sri Rajesh Pandey Sub Judge-cum-A.C.J.M., Gaya (Gaya)	a) Sub Judge b) Sitamarhi c) Sitamarhi	Vice Ms. S. Kumari	Sitamarhi
24	Sri Ajay Kumar I Presiding Officer, Labour Court, Begusarai (Begusarai)	a) Sub Judge b) Jehanabad c) Jehanabad	Vice Sri R. Kumar	Jehanabad
25	Sri Mukesh Kumar I Sub Judge-cum-A.C.J.M., Muzaffarpur-East (Muzaffarpur)	a) Sub Judge b) Muzaffarpur c) Muzaffarpur	Vice Sri S. K. Tiwary	Muzaffarpur
26	Smt. Kumari Vijaya Sub Judge-cum-A.C.J.M., Buxar (Buxar)	a) Sub Judge b) Gaya c) Gaya	Vice Smt. A. Singh	Gaya

27	Sri Rajnish Ranjan Sub Judge-cum-A.C.J.M., Hajipur (Vaishali)	a) Sub Judge b) Kishanganj c) Kishanganj	Vice Sri A.K. Singh	Kishanganj
28	Sri Jeetesh Kumar Presiding Officer, Labour Court, Chapra (Saran)	a) Sub Judge b) Chapra c) Saran	Vice Ms. Noor Sultana	Saran
29	Sri Anil Kumar Thakur Sub Judge-cum-A.C.J.M., Vaishi (Purnea)	a) Sub Judge b) Purnea c) Purnea	Vice Sri U. Kumar	Purnea
30	Sri Akansha Kashyap Sub Judge-cum-A.C.J.M., Chapra (Saran)	a) Sub Judge b) Samastipur c) Samastipur	Vice Sri Deshmukh	Samastipur
31.	Sri Anand Kumar Singh II, Sub Judge- cum- A.C.J.M., Balua (Begusari)	a) Sub Judge b) Araria c) Araria	Vice Sri S. Roy	Araria

**By Order of the High Court,
S. K. Panwar, Registrar General I/C.**

17 फरवरी 2020

सं० 36 नि०:—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) (अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ-3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है।

उन्हें संहिता की धारा 261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं	क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं
1.	2.	3.
1.	श्री वृंदालाल, बि०प्र०से०, अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा।	मधेपुरा अनुमण्डल क्षेत्र
2.	श्री गोपाल कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, मधेपुरा।	मधेपुरा अनुमण्डल क्षेत्र
3.	श्री बिनोद कुमार, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधेपुरा।	मधेपुरा अनुमण्डल क्षेत्र
4.	मो० एस० जेड० हसन, बि०प्र०से०, अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज।	उदाकिशुनगंज अनुमण्डल क्षेत्र
5.	श्री ललित कुमार सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्ता, उदाकिशुनगंज।	उदाकिशुनगंज अनुमण्डल क्षेत्र
6.	श्री रमेश चन्द्र चौधरी, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज।	उदाकिशुनगंज अनुमण्डल क्षेत्र
7.	श्री संजीव कुमार तिवारी, अपर अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज।	उदाकिशुनगंज अनुमण्डल क्षेत्र

8.	मो० कबीर, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, मधेपुरा।	मधेपुरा अनुमण्डल क्षेत्र
9.	श्री अल्लामा मुख्तार, वरीय उप समाहर्ता, मधेपुरा।	मधेपुरा अनुमण्डल क्षेत्र

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एन० के० पाण्डेय, महानिबंधक।

The 17th February 2020

No. 36 A:---In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) the executive Officers named in column no. 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, which they can competently try under the Code of Criminal Procedure, 1973.

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr. P.C.

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction.

Sl. No.	Name of Officer with designation and place of posting	Jurisdiction for which Powers are vested
1	2	3
1.	Sri Brinda Lal, (B.A.S.), S.D.O., Madhepura	Madhepura Subdivision
2.	Sri Gopal Kumar, D.C.L.R., Madhepura	Madhepura Subdivision
3.	Sri Vinod Kumar, Sub divisional Public Grievance Redressal Officer, Madhepura	Madhepura Subdivision
4.	Sri Md. S.Z. Hasan, (B.A.S.) S.D.O., Udakishunganj	Udakishunganj Subdivision
5.	Sri Lalit Kumar Singh, D.C.L.R., Udakishunganj	Udakishunganj Subdivision
6.	Sri Ramesh Chandra Chaudhary, Sub divisional Public Grievance Redressal Officer, Udakishunganj	Udakishunganj Subdivision
7.	Sri Sanjeev Kumar Tiwary, Additional Sub Divisional Officer, Udakishunganj	Udakishunganj Subdivision
8.	Sri Md. Kabir District Programme Officer, I.C.D.S., Madhepura	Madhepura Subdivision
9.	Sri Allama Mukhtar, Senior Deputy Collector, Madhepura	Madhepura Subdivision

By order of the High Court
N. K. Pandey, Registrar General.

17 फरवरी 2020

सं0 37 नि0:—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) (अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ-3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है।

उन्हें संहिता की धारा 261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं	क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं
1.	2.	3.
1.	श्री नीरज कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, कटिहार।	कटिहार अनुमण्डल क्षेत्र
2.	श्री राजीव कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, कटिहार।	कटिहार अनुमण्डल क्षेत्र
3.	श्री चन्दन कुमार मण्डल, अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, कटिहार।	कटिहार अनुमण्डल क्षेत्र
4.	श्री पवन कुमार मण्डल, अनुमण्डल पदाधिकारी, बारसोई।	बारसोई अनुमण्डल क्षेत्र
5.	श्री दिनेश राम, अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बारसोई।	बारसोई अनुमण्डल क्षेत्र
6.	श्री रविकान्त सिन्हा, भूमि सुधार उप समाहर्ता, मनिहारी।	मनिहारी अनुमण्डल क्षेत्र
7.	श्री गयानन्द यादव, अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मनिहारी।	मनिहारी अनुमण्डल क्षेत्र

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एन0 के0 पाण्डेय, महानिबंधक।

The 17th February 2020

No. 37 A:—In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) the executive Officers named in column no. 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, which they can competently try under the Code of Criminal Procedure, 1973.

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr. P.C.

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction.

Sl. No.	Name of Officer with designation and place of posting	Jurisdiction for which Powers are vested
1	2	3
1.	Sri Niraj Kumar, S.D.O., Katihar	Katihar Sub division
2.	Sri Rajeev Kumar, D.C.L.R., Katihar	Katihar Sub division
3.	Sri Chandan Kumar Mandal, Sub divisional Public Grievance Officer, Katihar	Katihar Sub division
4.	Sri Pawan Kumar Mandal, S.D.O., Barsoi	Barsoi Sub division
5.	Sri Dinesh Ram, Sub divisional Public Grievance Officer, Barsoi	Barsoi Sub division
6.	Sri Ravikant Sinha, D.C.L.R., Manihari	Manihari Sub division
7.	Sri Gayanand Yadav, Sub divisional Public Grievance Officer, Barsoi, Manihari	Manihari Sub division

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

17 फरवरी 2020

सं० 38 नि०:—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) (अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ-3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है।

उन्हें संहिता की धारा 261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं	क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं
1.	2.	3.
1.	श्री कुन्दन कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर।	मुजफ्फरपुर अनुमण्डल क्षेत्र
2.	श्री अनिल कुमार दास, अनुमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी मुजफ्फरपुर।	मुजफ्फरपुर अनुमण्डल क्षेत्र
3.	श्री स्वप्निल, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्वी मुजफ्फरपुर।	मुजफ्फरपुर अनुमण्डल क्षेत्र
4.	श्री सुरेन्द्र कुमार अलवेला, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पश्चिमी मुजफ्फरपुर।	मुजफ्फरपुर अनुमण्डल क्षेत्र

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एन० के० पाण्डेय, महानिबंधक।

The 17th February 2020

No. 38 A:—In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) the

executive Officers named in column no. 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, which they can competently try under the Code of Criminal Procedure, 1973.

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr. P.C.

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction.

Sl. No.	Name of Officer with designation and place of posting	Jurisdiction for which Powers are vested
1	2	3
1.	Sri Kundan Kumar, S.D.O., East, Muzaffarpur	Muzaffarpur Sub division
2.	Sri Anil Kumar Das, S.D.O., West, Muzaffarpur	Muzaffarpur Sub division
3.	Sri Swpnil D.C.L.R., East, Muzaffarpur	Muzaffarpur Sub division
4.	Sri Surendra Kumar Albela, D.C.L.R., East, Muzaffarpur	Muzaffarpur Sub division

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

17 फरवरी 2020

सं० 39 नि०:—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) (अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ-3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है।

उन्हें संहिता की धारा 261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं	क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं
1.	2.	3.
1.	श्री लालदेव राम, कार्यपालक दंडाधिकारी, शिवहर।	शिवहर अनुमण्डल क्षेत्र

**उच्च न्यायालय के आदेश से,
एन० के० पाण्डेय, महानिबंधक।**

The 17th February 2020

No. 39 A:—In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) the executive Officers named in column no. 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no.

3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, which they can competently try under the Code of Criminal Procedure, 1973.

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr. P.C.

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction.

Sl. No.	Name of Officer with designation and place of posting	Jurisdiction for which Powers are vested
1	2	3
1.	Sri Laldev Ram, Executive Magistrate, Sheohar	Sheohar Sub division

By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.

17 फरवरी 2020

सं० 40 नि०:—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) (अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ-3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है।

उन्हें संहिता की धारा 261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं	क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं
1.	2.	3.
1.	श्री राकेश गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा।	सदर, दरभंगा अनुमंडल क्षेत्र
2.	श्री पुष्पेश कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, दरभंगा।	सदर, दरभंगा अनुमंडल क्षेत्र
3.	श्री संजय सिंह, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर, दरभंगा।	सदर, दरभंगा अनुमंडल क्षेत्र
4.	श्रीमति उषा मिश्रा, कार्यपालक दंडाधिकारी, सदर, दरभंगा।	सदर, दरभंगा अनुमंडल क्षेत्र
5.	श्री प्रदीप कुमार झा, अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर।	बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र
6.	श्री बन्दन कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेनीपुर।	बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र
7.	श्री मनोज कुमार पवन, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेनीपुर।	बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र

8.	श्री ब्रज किशोर लाल, अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल।	बिरौल अनुमंडल क्षेत्र
9.	श्री राम दुलार राम, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिरौल।	बिरौल अनुमंडल क्षेत्र
10.	मो० नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बिरौल।	बिरौल अनुमंडल क्षेत्र

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एन० के० पाण्डेय, महानिबंधक।

The 17th February 2020

No. 40 A :--In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) the executive Officers named in column no. 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, which they can competently try under the Code of Criminal Procedure, 1973.

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr. P.C.

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction.

Sl. No.	Name of Officer with designation and place of posting	Jurisdiction for which Powers are vested
1	2	3
1.	Sri Rakesh Gupta, S.D.O., Sadar, Darbhanga	Darbhanga Sadar Sub division
2.	Sri Pushpesh Kumar, D.C.L.R., Sadar, Darbhanga	Darbhanga Sadar Sub division
3.	Sri Sanjay Singh, Sub divisional Public Grievance Redressal Officer, Sadar, Darbhanga	Darbhanga Sadar Sub division
4.	Smt. Usha Mishra, Executive Magistrate, Sadar, Darbhanga	Darbhanga Sadar Sub division
5.	Sri Pradeep Kumar Jha, S.D.O., Benipur	Benipur Sub division
6.	Sri Chandan Kumar, D.C.L.R., Benipur	Benipur Sub division

7.	Sri Manoj Kumar Pawan, Sub divisional Public Grievance Redressal Officer, Benipur	Benipur Sub division
8.	Sri Brij Kishore Lal, S.D.O., Biraoul	Biraoul Sub division
9.	Sri Ram Dular Ram, D.C.L.R., Biraoul	Biraoul Sub division
10.	Md. Nadimul Gaffar Siddiqui, Sub divisional Public Grievance Redressal Officer, Biraoul	Biraoul Sub division

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

17 फरवरी 2020

सं० 41 नि०:—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) (अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ-3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है।

उन्हें संहिता की धारा 261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं	क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं
1.	2.	3.
1.	श्री अखिलेश कुमार झा, अपर समाहर्ता, सुपौल।	सुपौल अनुमंडल क्षेत्र
2.	श्री मुकेश कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त, सुपौल।	सुपौल अनुमंडल क्षेत्र
3.	श्री अशोक कुमार झा, अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सुपौल।	सुपौल अनुमंडल क्षेत्र
4.	श्री कयूम अंसारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल।	सुपौल अनुमंडल क्षेत्र
5.	श्री सुभाष कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, बीरपुर।	बीरपुर अनुमंडल क्षेत्र
6.	श्री विनय कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज।	त्रिवेणीगंज अनुमंडल क्षेत्र
7.	श्री नीरज नारायण पाण्डेय, अनुमंडल पदाधिकारी, निर्मली।	निर्मली अनुमंडल क्षेत्र

8.	श्री संजय कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सुपौल।	सुपौल अनुमण्डल क्षेत्र
9.	श्री अखिलेश्वर प्रसाद वर्मा, भूमि सुधार उप समाहर्ता, निर्मली।	निर्मली अनुमण्डल क्षेत्र
10.	श्री वीरेन्द्र कुमार, वरीय उप समाहर्ता, सुपौल।	सुपौल अनुमण्डल क्षेत्र
11.	श्री सुरेश प्रसाद, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सुपौल।	सुपौल अनुमण्डल क्षेत्र
12.	श्री नवीन कुमार, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बीरपुर।	बीरपुर अनुमण्डल क्षेत्र
13.	श्री कृष्ण मुरारी, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज।	त्रिवेणीगंज अनुमण्डल क्षेत्र
14.	श्री राज कुमार यादव, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, निर्मली।	निर्मली अनुमण्डल क्षेत्र
15.	श्री अजय कुमार सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय, बीरपुर।	बीरपुर अनुमण्डल क्षेत्र

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एन0 के0 पाण्डेय, महानिबंधक।

The 17th February 2020

No. 41 A:---In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) the executive Officers named in column no. 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, which they can competently try under the Code of Criminal Procedure, 1973.

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr. P.C.

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction.

Sl. No.	Name of Officer with designation and place of posting	Jurisdiction for which Powers are vested
1	2	3
1.	Sri Akhilesh Kumar Jha, Additional Collector, Supaul	Supaul Sub division
2.	Sri Mukesh Kumar Sinha, D.D.C., Supaul	Supaul Sub division
3.	Sri Ashok Kumar Jha, Additional Collector-cum-District Public Grievance Redressal Officer, Supaul	Supaul Sub division

4.	Sri Kayum Ansari, S.D.O., Supaul	Supaul Sub division
5.	Sri Subhash Kumar, S.D.O., Birpur	Birpur Sub division
6.	Sri Vinay Kumar Singh, S.D.O., Triveniganj	Triveniganj Sub division
7.	Sri Niraj Narayan Pandey, S.D.O., Nirmali	Nirmali Sub division
8.	Sri Sanjay Kumar, D.C.L.R., Supaul	Supaul Sub division
9.	Sri Akhilewar Prasad Verma, D.C.L.R., Nirmali	Nirmali Sub division
10.	Sri Virendra Kumar, Senior Deputy Collector, Supaul	Supaul Sub division
11.	Sri Suresh Prasad, Sub divisional Public Grievance Redressal Officer, Supaul	Supaul Sub division
12.	Sri Navin Kumar, Sub divisional Public Grievance Redressal Officer, Birpur	Birpur Sub division
13.	Sri Krishna Murari, Sub divisional Public Grievance Redressal Officer, Triveniganj	Triveniganj Sub division
14.	Sri Raj Kumar Yadav, Sub divisional Public Grievance Redressal Officer, Nirmali	Nirmali Sub division
15.	Sri Ajay Kumar Singh, Executive Magistrate, Birpur	Birpur Sub division

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

29 फरवरी 2020

सं० 51 नि०:—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोर्ट) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	जिला का नाम
1.	2.	3.
1.	श्री अरविन्द मिश्रा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, सीतामढ़ी।	सीतामढ़ी
2.	श्री नगेन्द्र नाथ झा, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, सुपौल।	सुपौल
3.	रोजी न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना।	पटना
4.	श्री समीर कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया।	पश्चिमी चम्पारण

5.	श्री अविनाश कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना।	पटना
6.	लीला, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना।	पटना

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एन0 के0 पाण्डेय, महानिबंधक।

The 29th February 2020

No. 51 A : In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Civil Judges (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of Judicial Magistrate 1st Class for the District noted against their respective names in column no. 3 of the table.

Sl. No.	Name of Officers with designation and present place of posting	Name of the District
1.	2.	3.
1.	Sri Arvind Mishra, Judicial Magistrate 2 nd Class, Sitamarhi	Sitamarhi
2.	Sri Nagendra Nath Jha, Judicial Magistrate 2 nd Class, Supaul	Supaul
3.	Ms. Roji, Judicial Magistrate 2 nd Class, Patna	Patna
4.	Sri Sameer Kumar, Judicial Magistrate 2 nd Class, West Champaran at Bettiah	West Champaran
5.	Sri Avinash Kumar, Judicial Magistrate 2 nd Class, Patna	Patna
6.	Ms. Leela, Judicial Magistrate 2 nd Class, Patna	Patna

By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.

4 मार्च 2020

सं0 54 नि०:—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री मनोज कुमार-II (प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय), अध्यक्ष, वाणिज्य कर न्यायाधिकरण, पटना की सेवाएँ अध्यक्ष, बिहार राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना के रूप में नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, महानिबंधक।

The 4th March 2020

No. 54 A :---On being relieved of his present assignment, the services of Sri Manoj Kumar-II (Principal Judge Family Court) presently posted as Chairman,

Commercial Taxes Tribunal, Bihar, Patna are placed at the disposal of the State Government in the General Administration Department, Patna for his appointment to the post of Chairman, Bihar State Transport Appellate Tribunal, Patna on deputation basis for a maximum period of three years.

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

4 मार्च 2020

सं० 55 नि०:—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री शिवानन्द मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सीतामढ़ी की सेवायें अध्यक्ष, वाणिज्य कर न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि, अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

**उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, महानिबंधक।**

The 4th March 2020

No. 55 A:—On being relieved of his present assignment, the services of Sri Shivanand Mishra, Principal Judge, Family Court, Sitamarhi are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna for his appointment as Chairman, Commercial Taxes Tribunal, Patna, on deputation basis for a maximum period of three years.

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

4 मार्च 2020

सं० 56 नि०:—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री विनोद कुमार तिवारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर, की सेवायें विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार के राज्यपाल—सह—कुलाधिपति सचिवालय, बिहार, पटना के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधीन सौंपे जाने के लिए, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी जाती है जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

**उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, महानिबंधक।**

The 4th March 2020

No. 56 A:—On being relieved of his present assignment, the services of Sri Vinod Kumar Tiwary, Additional District & Sessions Judge, Bhagalpur are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna for being placed at the disposal of the Cabinet Secretariat and Co-ordination Department, Government of Bihar, Patna, for his appointment as Officer-on-Special Duty in the Governor-cum-Chancellor's Secretariat, Patna on deputation basis for a maximum period of three years.

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

4 मार्च 2020

सं० 57 नि० :—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर सुश्री उर्मिलजीत कौर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा की सेवायें संयुक्त सचिव—सह—अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी नियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

**उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, महानिबंधक।**

The 4th March 2020

No. 57 A:—On being relieved of his present assignment, the services of Ms. Urmiljeet Kaur, Additional District and Sessions Judge, Bhojpur at Ara is placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna

for her appointment as Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer in the Law Department, Government of Bihar, Patna on deputation basis, for a maximum period of three years.

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

6 मार्च 2020

सं० 58 नि० :—श्री शाहाब कौशर के स्थान पर श्रीमति ख्याति सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवादा को पटना के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, महानिबंधक।

The 6th March 2020

No. 58 A :—Smt. Kheyati Singh, Additional District and Sessions Judge, Nawadah is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Patna in place of Sri Shahab Kausar.

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

6 मार्च 2020

सं० 61 नि० :—श्री गुरुविंदर सिंह मलहोत्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खगड़िया को पटना के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानान्तरित एवं पदस्थापित किया जाता है और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश—XV—सह—विशेष न्यायालय, नेशनल इन्फ्रीसीटीगेटींग एजेन्सी के रूप में नामित किया जाता है। के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, महानिबंधक।

The 6th March 2020

No. 61 A :—Sri Guruvinder Singh Malhotra, Additional District and Sessions Judge, Khagaria is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Patna and is designated as Court of Additional District and Sessions Judge-XV-cum-N.I.A. Special Court at Patna.

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

7 मार्च 2020

सं० 62 नि० :—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे अधिष्ठित रहेंगे पर अवर न्यायाधीश सह अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में स्थानान्तरित किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, स्तम्भ-3 में अंकित अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) है को उनके पदस्थापन के जिला के

क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30:70 के अनुपात में हो।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान (जजी सहित)	अ) नये स्थान का पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किये जाते हैं।
1.	श्री अनन्त कुमार अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, हाजीपुर (वैशाली) वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय में विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में कार्यरत	(अ) अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) पटना (स) पटना

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, महानिबंधक।

The 7th March 2020

No. 62 A :---The Judicial Officer of the cadre of Civil Judge (Senior Division), named in column no. 2 of the table given below is transferred and posted as Sub Judge-cum-A.C.J.M. in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Subordinate Judge named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned District, provided that he shall work in such a way that his disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70.

Sl. No.	Name of the officer, designation and present place of posting (with Judgeship)	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship/place in which appointed.
1.	2.	3.
1.	Sri Anant Kumar, Sub Judge -cum- A.C.J.M., Hajipur (Vaishali) Presently on deputation as OSD in Patna High Court, Patna	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Patna c) Patna

By order of the High Court,

N. K. Pandey, Registrar General.

7 मार्च 2020

सं० 64 नि० :---दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तम्भ- 2 में नामित अवर न्यायाधीश को उसी तालिका के स्तम्भ 4 में वर्णित क्षेत्राधिकार के लिए, अन्य न्यायालय पटना जिसका मुख्यालय स्तम्भ -3 में नियत स्थान होगा को दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबलिसमेन्ट ऐक्ट 1946 की धारा 3 के अन्तर्गत डी० एस० पी० ई० पटना शाखा के अलावे अन्य शाखाओं द्वारा जाँच किये गये वादों के निष्पादन या निष्पादन हेतु सुपूर्द करने के शक्तियाँ प्रदान करता है।

उच्च न्यायालय उक्त दण्डाधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 190 की उप धारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन डी०एस०पी०ई०, पटना शाखा द्वारा जाँच किये गये वैसे वादों जिसका निष्पादन या निष्पादन हेतु सुपूर्द करने में वे सक्षम हैं, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान करता है।

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना का स्थान	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार के जिले
1.	2.	3.	4.
1.	श्री अनन्त कुमार, अवर न्यायाधीश-सह— अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना	पटना	पटना, नालन्दा, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, रोहतास, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, कटिहार तथा पूर्णिया

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, महानिबंधक।

The 7th March 2020

No. 64 A:---In exercise of powers conferred under section 11 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974), the Court have been pleased to appoint the Sub Judge named in column no. 2 of the table given below, as Exclusive Magistrate for the area of jurisdiction given below against his name in column no. 4 with headquarter mention in column no. 3 to try and if necessary to commit for trial the cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of other branches also besides the Patna Branch with respect to the offences covered under section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 for the area mention in column no. 4 of the table.

The Court have further been pleased to confer upon the said Magistrate the powers to take cognizance of such cases investigated by the Delhi Special Police Establishment, Patna Branch, under Sub-Section (1) (b) of Section 190 of the Criminal Procedure Code, 1973 and to try or commit for trial of the cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of the Patna Branch.

Sl. No.	Name, Designation and Place of Posting of the Officer	Headquarter	District under Jurisdiction
1.	Sri Anant Kumar, Sub Judge-cum-A.C.J.M., Patna	Patna	Patna, Nalanda, Bhojpur, Buxar, Bhabhua, Rohtas, Gaya, Aurangabad, Nawadah, Jehanabad, Bhagalpur, Banka, Munger, Sheikhpura, Jamui, Khagaria, Lakhisarai, Begusarai, Supaul, Saharsa, Madhepura, Kishanganj, Araria, Katihar and Purnea

By order of the High Court,

N. K. Pandey, Registrar General.

20 मार्च 2020

सं० 66 नि०:—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे अधिष्ठित रहेंगे पर असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के रूप में पदोन्नत किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा (11) की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, स्तंभ-3 में अंकित अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्तें उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30:70 के अनुपात में हो।

क्रम संख्या	पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान (जजी सहित)	अ) नये स्थान का पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी/स्थान जहाँ नियुक्त किये जाते हैं।
1.	श्री आदि देव अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, मसौढ़ी (पटना)	अ) अवर न्यायाधीश— सह —अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) पटना स) पटना
2.	श्री नरेन्द्र कुमार यादव मुसिफ, जमुई (जमुई)	अ) अवर न्यायाधीश— सह —अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) जमुई स) जमुई
3.	श्री दीप चन्द पाण्डेय अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, रोसड़ा (समस्तीपुर)	अ) अवर न्यायाधीश— सह —अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) रोसड़ा स) समस्तीपुर
4.	श्री मनीष कुमार शाही अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, समस्तीपुर (समस्तीपुर)	अ) अवर न्यायाधीश— सह —अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) समस्तीपुर स) समस्तीपुर
5.	श्री मनीष कुमार—I न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, सहरसा (सहरसा)	अ) अवर न्यायाधीश— सह —अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) सहरसा स) सहरसा
6.	श्री प्रहलाद कुमार अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, सुपौल (सुपौल)	अ) अवर न्यायाधीश— सह —अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) सुपौल स) सुपौल

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, महानिबंधक।

The 20th March 2020

No. 66 A :---The Judicial officers of the cadre of Civil Judge (Junior Division), named in column no. 2 of the table given below have been promoted to the cadre of Civil Judge (Senior Division) and on promotion they are appointed and posted in the manner as indicated in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Judicial Officers named below who have been appointed as Sub-Judge-cum- A.C.J.M., the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned Districts, provided that they shall work in such a way that their disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70.

Sl. no.	Name of the officers, designation and present place of posting (with Judgeship)	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship in which appointed on promotion
1	2	3
1.	Sri Aadi Dev S.D.J.M., Masaurhi (Patna)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Patna c) Patna

2.	Sri Narendra Kumar Yadav Munsif, Jamui (Jamui)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Jamui c) Jamui
3.	Sri Deep Chand Pandey S.D.J.M., Rosera (Samastipur)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Rosera c) Samastipur
4.	Sri Manish Kumar Shahi S.D.J.M., Rosera (Samastipur)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Samastipur c) Samastipur
5.	Sri Manish Kumar-I J.M. 1 st Class, Saharsa (Saharsa)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Saharsa c) Saharsa
6.	Sri Prahlad Kumar S.D.J.M., Supaul (Supaul)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Supaul c) Supaul

, By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.

21 मार्च 2020

सं० 67 नि०: दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी के साथ	जिला का नाम
1	2	3
1.	श्री दिनेश कुमार, मुंसिफ, दाउदनगर (औरंगाबाद)	औरंगाबाद

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, महानिबंधक।

The 21st March 2020

No. 67 A :---In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsif (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class also for the district noted against his names in column no. 3 of the table.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting along with judgeship	Name of the District
1	2	3
1.	Sri Dinesh Kumar, Munsif, Daudnagar (Aurangabad)	Aurangabad

By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

1 जून 2020

सं० 1स्था०-41/2020-604/वि०स०।-बिहार विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना सं०-336, दिनांक 25.02.2020 द्वारा प्रतिवेदक संवर्ग के प्रतिवेदक के पद पर नियुक्त श्री यानपति, जन्म तिथि-15.09.1991 का सभा सचिवालय के ज्ञापांक-416, दिनांक 18.03.2020 तथा ज्ञापांक-497, दिनांक 04.05.2020 के आलोक में दिनांक 18.05.2020 के पूर्वाह्न से वेतन स्तर-9 में प्रवेश वेतन-53100/-रु० एवं अन्य अनुमान्य भत्तों सहित योगदान स्वीकार किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
विमलेन्दु भूषण कुमार, अवर सचिव।

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

5 फरवरी 2020

सं० 8/नि.को.(रा.)विभागीय-720/2018-548—संयुक्त निबंधक (अंके.), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, भागलपुर एवं खगड़िया के विरुद्ध सहकारी बैंकों के सभी निवेशों का वर्ष 1996 से विशेष अंकेक्षण कराये जाने संबंधी निबंधक प्रभाग द्वारा निर्गत पत्र का अनुपालन नहीं करने के आरोप में अलग-अलग आरोप-पत्र (प्रपत्र-क) गठित कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु विभाग को भेजी गई थी, जिसपर श्री तिवारी से स्पष्टीकरण पूछ कर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना मंतव्य प्राप्त कर समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त श्री तिवारी का स्पष्टीकरण असंतोषप्रद पाया गया।

2. उक्त के आलोक में श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, भागलपुर एवं खगड़िया के विरुद्ध कर्तव्य के प्रति लापरवाही/सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने एवं विभागीय निदेशों की अवहेलना करने के आरोप में आरोप पत्र गठित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 954, दिनांक 26.02.19 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. इस संदर्भ में संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 488, दिनांक 25.10.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री तिवारी के विरुद्ध गठित आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया।

4. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ-सह-संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ-सह-संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, भागलपुर एवं खगड़िया को उक्त आंशिक प्रमाणित आरोप के लिए भविष्य के लिए सचेत रहने की चेतावनी दी जाती है।

5. इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
ऋचा कमल, उप सचिव।

5 मार्च 2020

सं० 01/रा.स्था.नियोजन-43/2018-1045—सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन गठित बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिकरण के कार्य संचालन हेतु अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एक समिति का गठन निम्नरूपेण किया जाता है:-

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. श्रीमती रचना पाटिल (भा.प्र.से.), निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना | — | अध्यक्ष |
| 2. श्री आनन्द शर्मा (भा.प्र.से.), संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना | — | सदस्य |
| 3. श्री शशि शेखर सिन्हा, उप निबंधक, सहयोग समितियाँ (ईख), बिहार, पटना | — | सदस्य |

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आनन्द शर्मा, संयुक्त सचिव।

5 मार्च 2020

सं० 01/रा.स्था.स्थाना./पद.-16/2020सह./1080—श्री मुकुल कुमार सिन्हा, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा (अतिरिक्त प्रभार-संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना) को तत्काल प्रभाव से अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ (प्रशासनिक) बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आनन्द शर्मा, संयुक्त सचिव।

6 मार्च 2020

सं० 8/नि.को.(रा.)विभागीय-708/2016-1081—निगरानी थाना कांड सं.-109/2016, दिनांक 21.10.2016, धारा-7/13(2)—सह-पठित धारा-13(1)(डी.)भ्र.नि. अधिनियम-1988 एवं निगरानी थाना कांड सं.-124/2016 दिनांक 18.11.2016, धारा-13(2)—सह-पठित धारा-13(1)(ई.)भ्र.नि. अधिनियम-1988 के प्राथमिकी अभियुक्त डा. श्रवण कुमार, तत्कालीन संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ—सह-जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालनार्थ बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) तथा 9(1)(ग) के तहत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-1904, दिनांक 08.06.2017 द्वारा निलंबित किया गया था।

डा. दिनांक 31.12.2019 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतएव उनके सेवानिवृत्ति के तिथि से उन्हें निलंबन मुक्त किया जाता है। उनके निलंबन अवधि के वेतनादि के भुगतान के संबंध में उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

इसमें माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, प्रभारी पदाधिकारी।

6 मार्च 2020

सं० 8/नि.को.(रा.)विभागीय-702/2020-1082—श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, खगड़िया द्वारा महालेखाकार से बिना प्राधिकार पत्र प्राप्त किये श्री गोपाल प्रसाद साह, तत्कालीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, खगड़िया का सेवान्त लाभ के रूप में उपादान की राशि का भुगतान कर दिया गया। जिसके कारण महालेखाकार, बिहार, पटना के पत्रांक-पेन-01-3955, दिनांक 31.12.2018 द्वारा सूचित किया गया कि बिना महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त किये उपादान की राशि का भुगतान कैसे कर दिया गया।

महालेखाकार के उक्त पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक 177, दिनांक 11.01.19 द्वारा श्री तिवारी से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री तिवारी ने अपने पत्रांक 145, दिनांक 04.07.19 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया। श्री तिवारी का कथन है कि राजपत्रित सेवा काल में इस प्रकार प्रथम कार्य व्यवहार था तथा इस संदर्भ में कार्यालय में किसी प्रकार का पूर्व उद्धरण संज्ञान में नहीं आने एवं ज्ञानाभाव के कारण श्री गोपाल प्रसाद साह, सेवानिवृत्त जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का उपादान का भुगतान हो गया। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन दिया गया।

श्री तिवारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के भुगतान कर देना एक वित्तीय अनियमितता है, परन्तु इसमें अनुचित लाभ पहुँचाने आदि की कोई मंशा प्रतीत नहीं होती है। अतएव श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, खगड़िया को एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने की शास्ति संसूचित की जाती है।

इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, प्रभारी पदाधिकारी।

6 मार्च 2020

सं० 8/नि.को.(रा.)विभागीय-708/2016-1083—निगरानी थाना कांड सं.-109/2016, दिनांक 21.10.2016, धारा-7/13(2)—सह-पठित धारा-13(1)(डी.)भ्र.नि. अधिनियम-1988 एवं निगरानी थाना कांड सं.-124/2016 दिनांक 18.11.2016, धारा-13(2)—सह-पठित धारा-13(1)(ई.)भ्र.नि. अधिनियम-1988 के प्राथमिकी अभियुक्त डा. श्रवण कुमार, तत्कालीन संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ—सह-जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालनार्थ बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) तथा 9(1)(ग) के तहत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-1904, दिनांक 08.06.2017 द्वारा निलंबित किया गया था।

चूँकि उक्त थाना कांड सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। साथ ही डा. कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही भी संचालन पदाधिकारी के समक्ष जाँचाधीन है तथा इनकी निलंबन अवधि 08.06.18 को एक वर्ष से अधिक हो गई है। इसलिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10(1) (i) के प्रावधान के अनुसार इनके जीवन निर्वाह भत्ता में दिनांक 08.06.18 के प्रभाव से 50% (पचास प्रतिशत) की वृद्धि करते हुए कुल जीवन निर्वाह भत्ता 75% (पचहत्तर प्रतिशत) किया जाता है।

इसमें माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, प्रभारी पदाधिकारी।

13 मार्च 2020

सं० 01/रा.स्था.स्थाना./पदस्थापन-11/2020 सह./1181—श्री आनन्द शर्मा (भा.प्र.से.), संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन, पटना के प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, अपर सचिव।

7 अप्रैल 2020

सं० 01/रा.स्था.स्थाना.-03/2020 सह./1295—श्री आनन्द कुमार चौधरी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, किशनगंज (अति. प्रभार—सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, किशनगंज) को अपने कार्यों के अतिरिक्त तत्काल प्रभाव से जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्णियाँ, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ, प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., पूर्णियाँ, जिला सहकारिता पदाधिकारी—सह—सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, अररिया, महाप्रबंधक, आई.सी.डी.पी., पूर्णियाँ एवं महाप्रबंधक, आई.सी.डी.पी., अररिया का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, अपर सचिव।

11 मई 2020

सं० 01/रा.स्था.स्थाना./पदस्थापन-11/2020 सह./1398—श्री विकास कुमार बरियार, विशेष पदाधिकारी (उपभोक्ता), कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन, पटना के State Manager (HR & Admin) के पद पर तत्काल प्रभाव से कार्यभारित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
आनन्द शर्मा, संयुक्त सचिव।

21 मई 2020

सं० 8/नि.को.(रा.)विभागीय-703/2020-1507—पाटलीपुत्रा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., पटना के उपाध्यक्ष द्वारा डीजल मद में राशि का भुगतान लिया गया। बाद में उनके द्वारा डीजल मद में लिया गया राशि वापस जमा कर दिया गया। उपाध्यक्ष को उक्त राशि देय है अथवा नहीं, की जाँच श्री कामेश्वर ठाकुर, संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा—सह—उप मुख्य अंकेक्षक, कोशी एवं दरभंगा प्रमंडल, सहरसा से करायी गयी। जाँच में श्री ठाकुर द्वारा राशि भुगतान को सही ठहराया गया। जिस पर उपाध्यक्ष द्वारा ली गई राशि को सही ठहराने के संबंध में कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा श्री ठाकुर से स्पष्टीकरण पूछा गया। निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा श्री ठाकुर के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया गया एवं मंतव्य दिया गया कि बैंकों को आन्तरिक मामलों में पूर्णरूपेण स्वायत्तता दी गई है, स्वच्छन्ता नहीं। इसलिए यह अतिआवश्यक है कि अंकेक्षण पूर्णरूपेण पारदर्शी हो। डीजल मद की राशि का उपयोग स्वयं कर बाद में राशि जमा करना कोई समाधान नहीं है।

श्री ठाकुर के स्पष्टीकरण एवं उस पर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के मंतव्य की सम्यक समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री ठाकुर का जाँच प्रतिवेदन/अंकेक्षण पूर्णरूपेण पारदर्शी नहीं है। जिसके लिए उन्हें चेतावनी दी जाती है और उक्त चेतावनी की प्रवृष्टि चरित्र पुस्ति में दर्ज की जायेगी।

इसमें सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, प्रभारी पदाधिकारी।

21 मई 2020

सं० 8/नि.को.(रा.)विभागीय-718/2017-1515—श्री कृष्ण कान्त शर्मा, तत्कालीन जिला अंके. पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, भागलपुर को सृजन महिला विकास, सहयोग समिति लि., साबौर भागलपुर के अंकेक्षण कार्य में पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता, आदेशोल्लंघन एवं अनुशासनहीनता के आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-2297 दिनांक-13.07.2018 से निलंबित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2298 दिनांक-13.07.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। साथ ही विभागीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक-663 दिनांक-06.02.2019 द्वारा पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही के साथ जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सीवान के पदस्थापन काल में 1996 से 2017 तक के सभी निवेशों का विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने के आरोपों के लिए पूरक आरोप पत्र गठित कर श्री शर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। इस संदर्भ में संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ—सह—संचालन पदाधिकारी, पटना प्रमंडल, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/अधिगम एवं श्री शर्मा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर की सम्यक समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री शर्मा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है एवं इनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित/आंशिक रूप से प्रमाणित है। जिसके लिए वे दोषी हैं। अतएव प्रमाणित आरोपों के लिए श्री कृष्ण

कान्त शर्मा, तत्कालीन जिला अंके. पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, भागलपुर सम्प्रति निलंबित को निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है :-

(i) निन्दन

(ii) श्री शर्मा को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा

(2) श्री शर्मा को निलंबन से मुक्त किया जाता है तथा उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

निलंबन मुक्त होने के पश्चात् श्री शर्मा राजपत्रित स्थापना शाखा (प्रशाखा-01), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना में अपना योगदान देंगे जहाँ से इनके पदस्थापन की कार्यवाही की जायेगी।

(3) इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आनन्द शर्मा, संयुक्त सचिव।

3 जून 2020

सं० 8/नि.को.(रा.)विभागीय-707/2019-1645—सृजन महिला विकास सहयोग समिति लि., सबौर, भागलपुर के मामले में महालेखाकार (लेखा), बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में सृजन महिला विकास सहयोग समिति लि., सबौर, भागलपुर का निरीक्षण नहीं करने के आरोप में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-8748 दिनांक-10.10.2018 द्वारा श्री सुभाष कुमार, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., भागलपुर सम्प्रति सहायक निबंधक (अ.र.), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना से स्पष्टीकरण पूछा गया था।

श्री कुमार ने अपने पत्रांक-9323 दिनांक 01.11.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि वे दिनांक-04.08.2014 से 10.07.2018 तक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., भागलपुर में प्रबंध निदेशक के पद पर रहे। इस अवधि में केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., भागलपुर द्वारा सृजन महिला विकास सहयोग समिति लि., सबौर, भागलपुर को किसी प्रकार का वित्त पोषण नहीं किया गया है। उक्त अवधि में बैंक का कोई भी ऋण सृजन समिति के जिम्मे बकाया नहीं था। इस कारण वित्त पोषक बैंक की हैसियत से उनके पदस्थापन काल में सृजन समिति के निरीक्षण अधिकारिता केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., भागलपुर को नहीं था। फलस्वरूप उनके कार्यकाल में सृजन समिति का केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., भागलपुर द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया। श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना से मंतव्य प्राप्त की गई।

श्री कुमार के स्पष्टीकरण एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के मंतव्य की सम्यक् समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी ने स्वयं स्वीकार किया है कि सृजन महिला विकास सहयोग समिति लि., सबौर, भागलपुर का निरीक्षण नहीं किया गया।

अतएव उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री सुभाष कुमार, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., भागलपुर सम्प्रति सहायक निबंधक (अ.र.), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को निन्दन की शास्ति दी जाती है।

इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, प्रभारी पदाधिकारी।

8 जून 2020

सं० 8/नि.को. (रा.)विभागीय-724/2019-1686—जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक 784 दिनांक 03.12.2019 द्वारा श्री विद्याभूषण मिश्र, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, अरवल सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर के विरुद्ध जिला स्तरीय चयन समिति में फर्जी कागजात द्वारा अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली की अनुशंसा करने के आरोप में आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई थी। जिसके समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 332 दिनांक 24.01.2020 द्वारा श्री मिश्र से स्पष्टीकरण पूछा गया।

श्री विद्याभूषण मिश्र द्वारा अपने पत्रांक 162 दिनांक 04.02.2020 से स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उल्लेख किया गया कि दिनांक 07.08.2018 को अरवल जिला में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में उनके द्वारा भाग नहीं लिया गया था। जिला सहकारिता पदाधिकारी के हस्ताक्षर के स्थान पर वास्ते उल्लेखित कर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, मुख्यालय श्री संजय वर्मा के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है।

श्री मिश्र के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के रूप में प्रमाण पत्रों की बिना जाँच किये हुए अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल द्वारा दोनो जालसाज व्यक्ति का अभिलेख एवं प्रमाण पत्र अनुशंसा के साथ जिला स्तरीय चयन समिति को प्रेषित किया गया। इसमें श्री मिश्र का अपराधिक मनः स्थिति (Mens rea) नहीं प्रतित होता है। अतएव श्री विद्याभूषण मिश्र, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, अरवल सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर को भविष्य के लिए सचेत किया जाता है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
संजय कुमार, प्रभारी पदाधिकारी।

वाणिज्य कर विभाग

अधिसूचनाएं

24 जून 2020

सं० 6/वि०पत्रा०-24-12/2020-1152—वाणिज्य कर विभाग के राज्य कर सहायक आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-6 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

क्र.	पदाधिकारी का नाम	बैच संख्या	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
1	श्री हिरेंद्र कुमार	37वीं / 165	पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, (अंकेक्षण) सारण प्रमंडल, छपरा	राज्य कर सहायक आयुक्त, (अंकेक्षण), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर
2	श्री राजकिशोर शाह	विशेष / 218	मुजफ्फरपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, (अंकेक्षण) पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा
3	श्री मुस्तर अकरम	48वीं से 52वीं 304	हजारीबाग	राज्य कर सहायक आयुक्त, (अंकेक्षण) मगध प्रमंडल, गया	राज्य कर सहायक आयुक्त, (अंकेक्षण), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना
4	अनुपमा कुमारी	48वीं से 52वीं	भोजपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, बक्सर अंचल, बक्सर	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना कदम कुंआ अंचल, पटना
5	श्री कृष्ण मोहन सिंह	53वीं से 55वीं	वैशाली	राज्य कर सहायक आयुक्त, भागलपुर अंचल, भागलपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना पश्चिमी अंचल, पटना
6	कुमारी अनामिका	53वीं से 55वीं	सीतामढ़ी	राज्य कर सहायक आयुक्त, गाँधी मैदान अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, केन्द्रीय अंकेक्षण प्रमंडल, पटना
7	निवेदिता	53वीं से 55वीं	पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, समस्तीपुर अंचल सम्प्रति वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय में प्रतिनियुक्त	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना विशेष अंचल, पटना
8	श्री संतोष कुमार,	53वीं से 55वीं	रोहतास	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना मध्य अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, गया अंचल, गया
9	शौकत अली अंसारी	53वीं से 55वीं	रोहतास	राज्य कर सहायक आयुक्त, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णिया	राज्य कर सहायक आयुक्त, बक्सर अंचल, बक्सर
10	श्री तेज कान्त झा	53वीं से 55वीं	दरभंगा	राज्य कर सहायक आयुक्त, बेगूसराय अंचल, बेगूसराय	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना मध्य अंचल, पटना
11	श्री राजेश रंजन भारती	53वीं से 55वीं	मधेपुरा	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना पश्चिमी अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, बेगूसराय अंचल, बेगूसराय
12	श्री क्षितिज कुमार सिंह	53वीं से 55वीं	उत्तर प्रदेश	राज्य कर सहायक आयुक्त, सासाराम अंचल, सासाराम	राज्य कर सहायक आयुक्त, कटिहार अंचल, कटिहार

13	श्री रौशन कुमार	53वीं से 55वीं	मधुबनी	राज्य कर सहायक आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पटना सम्प्रति गाँधी मैदान अंचल में प्रतिनियुक्त	राज्य कर सहायक आयुक्त, समस्तीपुर अंचल, समस्तीपुर
14	श्री जीतेन्द्र कुमार	53वीं से 55वीं	आरा	राज्य कर सहायक आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा	राज्य कर सहायक आयुक्त, मोतिहारी अंचल, मोतिहारी
15	श्री सिकंदर साव	53वीं से 55वीं	औरंगाबाद	राज्य कर सहायक आयुक्त, दरभंगा अंचल, दरभंगा	राज्य कर सहायक आयुक्त, बगहा अंचल, बगहा
16	श्री आशीष रंजन	53वीं से 55वीं	नालन्दा	राज्य कर सहायक आयुक्त, गया अंचल, गया	राज्य कर सहायक आयुक्त, बेगूसराय अंचल, बेगूसराय
17	श्री शशि भुषण	53वीं से 55वीं	अररिया	राज्य कर सहायक आयुक्त, मधुबनी अंचल, मधुबनी	राज्य कर सहायक आयुक्त, अंकेक्षण पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया
18	श्री संतोष कुमार	53वीं से 55वीं	मुजफ्फरपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, बाढ़ अंचल, बाढ़	राज्य कर सहायक आयुक्त, कटिहार अंचल, कटिहार
19	श्री योगेन्द्र शर्मा	53वीं से 55वीं	जहानाबाद	राज्य कर सहायक आयुक्त, भागलपुर अंचल, भागलपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, भभुआ अंचल, भभुआ
20	श्री अजय प्रकाश	53वीं से 55वीं	सिवान	राज्य कर सहायक आयुक्त, सम्प्रति वित्त एवं लेखा पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापित (बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी में प्रतिनियुक्त)	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना दक्षिणी अंचल, पटना
21	श्री अजय कुमार सिंह	53वीं से 55वीं	उत्तर प्रदेश	राज्य कर सहायक आयुक्त, सुपौल अंचल, सुपौल	राज्य कर सहायक आयुक्त, शाहाबाद अंचल, शाहाबाद
22	श्री विवेक कुमार	53वीं से 55वीं	सहरसा	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना उत्तरी अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, दरभंगा अंचल, दरभंगा
23	श्री विवेकानन्द राय	53वीं से 55वीं	बांका	राज्य कर सहायक आयुक्त, सीतामढ़ी अंचल, सीतामढ़ी	राज्य कर सहायक आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय पटना में पदस्थापित करते हुए वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय पटना में प्रतिनियुक्त
24	स्वर्णलता किरण	53वीं से 55वीं	बक्सर	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना पश्चिमी अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, हाजीपुर अंचल, हाजीपुर
25	श्री ज्ञानदेव प्रभाकर	53वीं से 55वीं	पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, भभुआ अंचल, भभुआ	राज्य कर सहायक आयुक्त, भागलपुर अंचल, भागलपुर

26	श्री रवीन्द्र कुमार,	53वीं से 55वीं	पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना सिटी पूर्वी अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, सम्प्रति वित्त एवं लेखा पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन (बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी में प्रतिनियुक्त)
27	श्री राजीव रंजन	53वीं से 55वीं	नालन्दा	राज्य कर सहायक आयुक्त, समस्तीपुर अंचल, समस्तीपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, दानापुर अंचल, पटना
28	श्री रविन्द्र कुमार	53वीं से 55वीं	रोहतास	राज्य कर सहायक आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, मुजफ्फरपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना पश्चिमी अंचल, पटना
29	मो० नसीम	53वीं से 55वीं	पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, खगड़िया अंचल, खगड़िया	राज्य कर सहायक आयुक्त, शाहाबाद अंचल, शाहाबाद
30	श्री दीना नाथ अग्रवाल	53वीं से 55वीं	गोपालगंज	राज्य कर सहायक आयुक्त, कटिहार अंचल, कटिहार	राज्य कर सहायक आयुक्त, भागलपुर अंचल, भागलपुर
31	श्री बाल्मिकी कुमार	53वीं से 55वीं	जहानाबाद	राज्य कर सहायक आयुक्त, शाहाबाद अंचल, शाहाबाद	राज्य कर सहायक आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पटना
32	श्री कुशेश्वर राउत	53वीं से 55वीं	मधुबनी	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना पश्चिमी अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, सासाराम अंचल, सासाराम
33	श्री विशाल कुमार	53वीं से 55वीं	सारण	राज्य कर सहायक आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, अंकेक्षण केन्द्रीय प्रमंडल, पटना
34	श्री मनीष कुमार गुप्ता	53वीं से 55वीं	गया	राज्य कर सहायक आयुक्त, मुंगेर अंचल, मुंगेर	राज्य कर सहायक आयुक्त, नवादा अंचल, नवादा
35	मो० सब्बीर आलम	53वीं से 55वीं	रोहतास	राज्य कर सहायक आयुक्त, दानापुर अंचल, दानापुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना सिटी पूर्वी अंचल, पटना
36	आबिद सुबहानी	53वीं से 55वीं	पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, बेगुसराय अंचल, बेगुसराय	राज्य कर सहायक आयुक्त, समस्तीपुर अंचल, समस्तीपुर
37	श्री आकाश कुमार	53वीं से 55वीं	सिवान	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना पूर्वी प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, बक्सर अंचल, बक्सर
38	श्री उमापति नारायण	53वीं से 55वीं	रोहतास	राज्य कर सहायक आयुक्त,तिरहुत प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, मुजफ्फरपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, सहरसा अंचल, सहरसा
39	श्री अनिल कुमार साह	53वीं से 55वीं	सीवान	राज्य कर सहायक आयुक्त, पूर्णिमा प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, पूर्णिमा	राज्य कर सहायक आयुक्त, सारण अंचल, सारण
40	श्री मुकेश कुमार चौधरी	53वीं से 55वीं	सीतामढ़ी	राज्य कर सहायक आयुक्त, नवादा अंचल, नवादा	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना सिटी पूर्वी अंचल, पटना
41	श्री राजू रंजन	53वीं से 55वीं	सारण	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना सिटी पूर्वी अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल, मुजफ्फरपुर

42	श्री संजय कुमार	53वीं से 55वीं	मुजफ्फरपुर	पटना सिटी पश्चिमी अंचल, राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, दरभंगा अंचल, दरभंगा
43	श्री सतीश कुमार	53वीं से 55वीं	अरवल	राज्य कर सहायक आयुक्त, सारण अंचल, सारण	राज्य कर सहायक आयुक्त, रक्सौल अंचल, रक्सौल
44	श्री अरुण कुमार चौधरी	53वीं से 55वीं	मुंगेर	राज्य कर सहायक आयुक्त, लखिसराय अंचल, लखिसराय	राज्य कर सहायक आयुक्त, मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल, मुजफ्फरपुर
45	श्री दिलीप कुमार साह	तृतीय समित	कटिहार	राज्य कर सहायक आयुक्त, बगहा अंचल, बगहा	राज्य कर सहायक आयुक्त, सहरसा अंचल, सहरसा
46	श्री राजेश कुमार	तृतीय समित	पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, जहानाबाद अंचल, जहानाबाद	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना उत्तरी अंचल, पटना
47	श्री उदय शंकर मिश्र	तृतीय समित	मुजफ्फरपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, गया अंचल, गया	राज्य कर सहायक आयुक्त, सारण प्रमण्डल अन्वेषण ब्यूरो, सारण
48	श्री प्रवीण कुमार	तृतीय समित	पूर्वी चंपारण	राज्य कर सहायक आयुक्त, मधुबनी अंचल, मधुबनी	राज्य कर सहायक आयुक्त, बेतिया अंचल, बेतिया
49	श्री सुनिल कुमार सिंह	तृतीय समित	भोजपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, बाढ़ अंचल, बाढ़	राज्य कर सहायक आयुक्त, झंझारपुर अंचल, झंझारपुर
50	श्री प्रमोद चौधरी	तृतीय समित	मुजफ्फरपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, झंझारपुर अंचल, झंझारपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, मधेपुरा अंचल, मधेपुरा
51	श्री मनोज कुमार कर्ण	तृतीय समित	कटिहार	राज्य कर सहायक आयुक्त, किशनगंज अंचल, किशनगंज	राज्य कर सहायक आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल अन्वेषण ब्यूरो, पूर्णिया
52	श्री रोहिणी कुमार मिश्र	तृतीय समित	मधुबनी	राज्य कर सहायक आयुक्त, मोतिहारी अंचल, मोतिहारी	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना पूर्वी प्रमण्डल अन्वेषण ब्यूरो, पटना
53	श्री अवधेश सिंह	तृतीय समित	वैशाली	राज्य कर सहायक आयुक्त, झंझारपुर अंचल, झंझारपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल अन्वेषण ब्यूरो, मुजफ्फरपुर
54	श्री विनय कुमार ठाकुर	तृतीय समित	मुंगेर	राज्य कर सहायक आयुक्त, बेतिया अंचल, बेतिया	राज्य कर सहायक आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल अन्वेषण ब्यूरो, भागलपुर
55	श्री दया शंकर सिंह	तृतीय समित	भोजपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, (अंकेक्षण), पटना पूर्वी प्रमण्डल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, गया अंचल, गया
56	श्री धर्मदेव कुमार	तृतीय समित	पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, सहरसा अंचल, सहरसा	राज्य कर सहायक आयुक्त, खगड़िया अंचल, खगड़िया
57	श्री शिवनारायण पासवान	तृतीय समित	अररिया	राज्य कर सहायक आयुक्त, कटिहार अंचल, कटिहार	राज्य कर सहायक आयुक्त, किशनगंज अंचल, किशनगंज
58	श्री ज्ञानी दास	तृतीय समित	गया	राज्य कर सहायक आयुक्त, सहरसा अंचल, सहरसा	राज्य कर सहायक आयुक्त, तेघड़ा अंचल, तेघड़ा

59	श्री उदय कुमार	तृतीय सिमित	गया	राज्य कर सहायक आयुक्त, बक्सर अंचल, बक्सर	राज्य कर सहायक आयुक्त, सासाराम अंचल, सासाराम
60	श्री मनोज कुमार	तृतीय सिमित	पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, रक्सौल अंचल, रक्सौल	राज्य कर सहायक आयुक्त, बाढ़ अंचल, बाढ़
61	श्री संतोष कुमार गुप्ता	तृतीय सिमित	भोजपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, मधेपुरा अंचल, मधेपुरा	राज्य कर सहायक आयुक्त, मधुबनी अंचल, मधुबनी
62	मो० अनवारूल हक	तृतीय सिमित	कटिहार	राज्य कर सहायक आयुक्त, सारण अंचल, सारण	राज्य कर सहायक आयुक्त, किशनगंज अंचल, किशनगंज
63	श्री संतोष कुमार चौधरी	तृतीय सिमित	दरभंगा	राज्य कर सहायक आयुक्त, तेघड़ा अंचल, तेघड़ा	राज्य कर सहायक आयुक्त, झंझारपुर अंचल, झंझारपुर
64	श्री बलराम प्रसाद	तृतीय सिमित	सारण	राज्य कर सहायक आयुक्त, गोपालगंज अंचल, गोपालगंज	राज्य कर सहायक आयुक्त, सुपौल अंचल, सुपौल
65	श्री शंकर चौधरी	तृतीय सिमित	मधेपुरा	राज्य कर सहायक आयुक्त, पूर्णिमा प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, पूर्णिमा	राज्य कर सहायक आयुक्त, कटिहार अंचल, कटिहार
66	श्री उमेश चन्द्रा	तृतीय सिमित	नवादा	राज्य कर सहायक आयुक्त, मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल, मुजफ्फरपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, लखिसराय अंचल, लखिसराय
67	कुमारी गुंजन भारती	तृतीय सिमित	सीतामढ़ी	राज्य कर सहायक आयुक्त, कदम कुआँ अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, अंकेक्षण पटना पश्चिमी प्रमण्डल, पटना
68	वन्दना	56वीं से 59वीं	बक्सर	राज्य कर सहायक आयुक्त, पटना दक्षिणी अंचल, पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय, पटना
69	कुमारी खुशबू रानी	56वीं से 59वीं	भागलपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, कटिहार अंचल, कटिहार	राज्य कर सहायक आयुक्त, सितामढ़ी अंचल, सितामढ़ी
70	पूनम कुमारी	60वीं से 62वीं	सिवान	राज्य कर सहायक आयुक्त, जहानाबाद अंचल, जहानाबाद	राज्य कर सहायक आयुक्त, अंकेक्षण पटना पूर्वी प्रमण्डल, पटना
71	वन्दना कुमारी	60वीं से 62वीं	बेगूसराय	राज्य कर सहायक आयुक्त, दरभंगा अंचल, दरभंगा	राज्य कर सहायक आयुक्त, अंकेक्षण पटना पूर्वी प्रमण्डल, पटना
72	रानी कुमारी	60वीं से 62वीं	पटना	राज्य कर सहायक आयुक्त, शाहाबाद अंचल, शाहाबाद	राज्य कर सहायक आयुक्त, जमुई अंचल, जमुई
73	श्री साकेत सुमन	60वीं से 62वीं	भागलपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, सुपौल अंचल, सुपौल	राज्य कर सहायक आयुक्त, मुंगेर अंचल, मुंगेर

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

24 जून 2020

सं० 6/वि०पत्रा०—24-12/2020-1153—वाणिज्य कर विभाग के राज्य कर संयुक्त आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-6 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

क्र.	पदाधिकारी का नाम	बैच संख्या	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुभाष चन्द्र झा	36वीं / 112	मधुबनी	वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण) भागलपुर
2	श्री इन्द्र नारायण झा	36वीं / 114	सहरसा	वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण) भागलपुर	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ
3	श्री शारदानन्द झा, प्रभारी	36वीं / 118	कटिहार	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) किशनगंज अंचल, किशनगंज	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) बिहार शरीफ अंचल, बिहार शरीफ
4	श्री बजरंगी प्रसाद	36वीं / 127	पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त दालकोला जॉच चौकी प्रतिनियुक्ति अन्वेषण ब्यूरो दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, मगध प्रमण्डल, अन्वेषण ब्यूरो, गया
5	श्री नागेन्द्र चौधरी	प्रथम सीमित / 139	पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), मगध प्रमंडल, गया	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय प्रमण्डल अन्वेषण ब्यूरो, पटना
6	श्री रति लाल गणेश	37वीं / 144	किशनगंज	राज्य कर संयुक्त आयुक्त अंकेक्षण केन्द्रीय प्रमण्डल, पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, पटना पश्चिमी प्रमण्डल अन्वेषण ब्यूरो, पटना
7	श्री नवीन कुमार	37वीं / 146	बेगूसराय	राज्य कर संयुक्त आयुक्त वसूली कोषांग पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ	राज्य कर संयुक्त आयुक्त वसूली कोषांग तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर
8	श्री विपिन कुमार झा	37वीं / 147	दरभंगा	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) मधेपुरा अंचल, मधेपुरा	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) फारबिशगंज अंचल
9	श्री सौरभ कुमार सिंह	37वीं / 149	कटिहार	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) दरभंगा अंचल, दरभंगा	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) सारण अंचल, छपड़ा
10	सुश्री विजयालक्ष्मी प्रसाद	37वीं / 151	पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) बिहार शरीफ अंचल, बिहार शरीफ	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) बाढ़ अंचल, बाढ़
11	श्री सच्चिदानन्द शर्मा	37वीं / 158	मुंगेर	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) समस्तीपुर अंचल
12	श्री नन्द किशोर सिंह	37वीं / 159	वैशाली	राज्य कर संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय, पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण) केन्द्रीय प्रमण्डल, पटना
13	श्री प्रमोद कुमार	37वीं / 160	पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त केन्द्रीय प्रमंडल अन्वेषण ब्यूरो पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, सारण प्रमण्डल, अन्वेषण ब्यूरो, छपरा
14	श्री कमल किशोर चौधरी	37वीं / 164	गया	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) सहरसा अंचल, सहरसा	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, वसूली कोषांग, पटना केन्द्रीय प्रमण्डल, पटना

15	श्री पंकज कुमार प्रसाद	37वीं / 166	पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, मुख्यालय, बिहार, पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) गया अंचल, गया
16	श्री राम प्रसाद राम	37वीं / 168	वैशाली	राज्य कर संयुक्त आयुक्त जलालपुर जॉच चौकी	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा
17	श्री विजय कुमार आजाद	37वीं / 170	पूर्णिया	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण) पश्चिमी प्रमण्डल, पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, पटना पूर्वी प्रमण्डल, अन्वेषण ब्यूरो, पटना
18	श्री विरेन्द्र कुमार	37वीं / 171	नालन्दा	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, मुख्यालय, बिहार, पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) सहरसा अंचल, सहरसा
19	श्री रिपुंजय झा	38वीं / 181	दरभंगा	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) बेगूसराय अंचल, बेगूसराय	राज्य कर संयुक्त आयुक्त केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मुख्यालय, पटना में पदस्थापन एवं वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय, पटना में अतिरिक्त प्रभार
20	श्री नीरज कुमार	38वीं / 183	पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) गया अंचल, गया	राज्य कर संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय, पटना
21	श्री रंजीत कुमार सिन्हा	38वीं / 184	औरंगाबाद	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) सासाराम अंचल, सासाराम	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) बेगूसराय अंचल, बेगूसराय
22	श्री विरेन्द्र कुमार मण्डल	38वीं / 185	दरभंगा	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) फारबिसगंज अंचल, फारबिसगंज	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) मधेपुरा अंचल, मधेपुरा
23	श्री सुबोध कुमार	38वीं / 186	मुजफ्फरपुर	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) समस्तीपुर अंचल, समस्तीपुर	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) पटना पश्चिमी अंचल, पटना
24	श्री अशोक कुमार यादव	38वीं / 192	कटिहार	राज्य कर संयुक्त आयुक्त पटना पूर्वी प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) मधुबनी, अंचल, मधुबनी
25	श्री शंकर शर्मा	38वीं / 196	औरंगाबाद	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) सारण अंचल, सारण	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) पूर्णिया अंचल, पूर्णिया
26	श्री मो० मोइनुद्दीन	38वीं / 199	पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, मुख्यालय पटना
27	श्री युगल किशोर भारतीय	38वीं / 200	जहानाबाद	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) सारण प्रमंडल, छपरा	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), मगध प्रमंडल, गया
28	श्री सुनील कुमार	38वीं / 202	गया	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) बाढ़ अंचल, बाढ़	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद

29	श्री देवानन्द शर्मा	विशेष / 206	पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) मधुबनी अंचल, मधुबनी	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) दरभंगा अंचल, दरभंगा
30	श्री मो० असदुज्जमाँ	विशेष / 208	सारण	राज्य कर संयुक्त आयुक्त मगध प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, गया	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, भागलपुर
31	श्री राजीव रंजन	विशेष / 209	अररिया	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) जमुई अंचल, जमुई	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), बेतिया अंचल, बेतिया
32	श्री जयशंकर सिंह	विशेष / 215	खगड़िया	राज्य कर संयुक्त आयुक्त भागलपुर प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, भागलपुर	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) गोपालगंज, अंचल, गोपालगंज
33	श्री प्रमोद कुमार	विशेष / 219	देवघर	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) पटना पश्चिमी अंचल, पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) जमुई अंचल, जमुई
34	श्री जलेश्वर प्रसाद	39वीं / 227	सारण	राज्य कर संयुक्त आयुक्त वसूली कोषांग तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	राज्य कर संयुक्त आयुक्त वसूली कोषांग पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ
35	नन्द किशोर राज	41वीं / 242	गोपालगंज	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) पूर्णिया अंचल, पूर्णिया	राज्य कर संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर विभाग प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, मुख्यालय, पटना

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

24 जून 2020

सं० 6/वि०पत्रा०-24-12/2020-1154—वाणिज्य कर विभाग के राज्य कर उपायुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-6 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

क्र.	पदाधिकारी का नाम	बैच संख्या	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
1	सुरेन्द्र प्रसाद	38वीं / 195	नवादा	राज्य कर उपायुक्त, मोतिहारी अंचल सम्प्रति अंकेक्षण, पटना पश्चिमी प्रमण्डल, पटना	राज्य कर उपायुक्त, अंकेक्षण, पटना पश्चिमी प्रमण्डल, पटना
2	श्री अनुप कुमार	42वीं / 252	नालंदा	राज्य कर उपायुक्त, पटना विशेष अंचल, पटना	राज्य कर उपायुक्त, आर्थिक अन्वेषण इकाई, वाणिज्य कर विभाग, पटना
3	श्री शशि भानू	42वीं / 254	अररिया	राज्य कर उपायुक्त, बेगुसराय अंचल, बेगुसराय	राज्य कर उपायुक्त, (प्रभारी) झंझारपुर अंचल, झंझारपुर
4	श्री दीपक राज	42वीं / 255	भागलपुर	राज्य कर उपायुक्त, शाहाबाद अंचल, शाहाबाद	राज्य कर उपायुक्त, दरभंगा अंचल, दरभंगा
5	श्री तेज कुमार कुजूर	42वीं / 259	गुमला	राज्य कर उपायुक्त, (प्रभारी) झंझारपुर अंचल, झंझारपुर	राज्य कर उपायुक्त, पटना पश्चिमी अंचल, पटना
6	श्री रश्मि कुमार सिंह	द्वितीय सीमित / 260	छपरा	राज्य कर उपायुक्त, पटना पूर्वी प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो पटना	राज्य कर उपायुक्त, दरभंगा अंचल, दरभंगा
7	श्री सुनील कुमार जायसवाल	द्वितीय सीमित / 261	पटना	राज्य कर उपायुक्त, मगध प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, गया	राज्य कर उपायुक्त, समस्तीपुर अंचल, समस्तीपुर

8	श्री गोपाल प्रसाद	द्वितीय सीमित / 263	नवादा	राज्य कर उपायुक्त, पटना पश्चिमी प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो पटना	राज्य कर उपायुक्त, बेगूसराय अंचल, बेगूसराय
9	श्री कृष्णकान्त यादवेन्दु	द्वितीय सीमित / 275	पटना	राज्य कर उपायुक्त, पटना सिटी पश्चिमी अंचल, पटना	राज्य कर उपायुक्त, कटिहार अंचल, कटिहार
10	श्री दिनेश प्रसाद सिंह	द्वितीय सीमित / 281	पूर्णियाँ	राज्य कर उपायुक्त, किशनगंज अंचल, किशनगंज	राज्य कर उपायुक्त, फारबिसगंज अंचल, फारबिसगंज
11	श्री संजय कुमार	47वीं / 285	जमुई	राज्य कर उपायुक्त, पटना उत्तरी अंचल, पटना	राज्य कर उपायुक्त, भागलपुर अंचल, भागलपुर
12	श्री कुमार शैलेन्द्र	48वीं से 52वीं / 286	पटना	राज्य कर उपायुक्त, पटना दक्षिणी अंचल, पटना	राज्य कर उपायुक्त, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल, मुजफ्फरपुर
13	श्री अखिलेश कुमार मिश्र	48वीं से 52वीं / 288	दरभंगा	राज्य कर उपायुक्त, बेतिया अंचल, बेतिया	राज्य कर उपायुक्त, (प्रभारी) तेघड़ा अंचल, तेघड़ा
14	श्री ओम कुमार सिन्हा	48वीं से 52वीं / 291	रोहतास	राज्य कर उपायुक्त, दरभंगा अंचल, दरभंगा	राज्य कर उपायुक्त, (प्रभारी) सुपौल अंचल, सुपौल
15	श्री राम प्रकाश सिन्हा	48वीं से 52वीं / 292	बक्सर	राज्य कर उपायुक्त, पटना मध्य अंचल, पटना	राज्य कर उपायुक्त, आर्थिक अन्वेषण इकाई, वाणिज्य कर विभाग, पटना
16	श्री राजीव कुमार झा	48वीं से 52वीं / 294	पटना	राज्य कर उपायुक्त, (प्रभारी) सुपौल अंचल, सुपौल	राज्य कर उपायुक्त, पूर्णिया अंचल, पूर्णिया
17	श्री मनोज कुमार साह	48वीं से 52वीं / 302	पटना	राज्य कर उपायुक्त, बिहार शरीफ अंचल, बिहार शरीफ	राज्य कर उपायुक्त, गया अंचल, गया
18	श्री हरेन्द्र कुमार मांझी	48वीं से 52वीं / 306	सिवान	राज्य कर उपायुक्त, (प्रभारी) तेघड़ा अंचल, तेघड़ा	राज्य कर उपायुक्त, सारण अंचल, सारण

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

27 जून 2020

सं० 06/वि०पत्रा०-24-12/2020-1171—वाणिज्य कर विभाग के राज्य कर संयुक्त आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-6 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:—

क्र.	पदाधिकारी का नाम	बैच संख्या	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
1.	श्री पंकज कुमार	38वीं / 182	भोजपुर	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण) दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) सासाराम अंचल, सासाराम
2.	श्री जयशंकर सिंह	विशेष / 215	खगड़िया	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) गोपालगंज, अंचल, गोपालगंज	राज्य कर संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर विभाग प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, मुख्यालय, पटना

3	श्री विजय कुमार	विशेष/217	पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर विभाग टी०आर०यू० मुख्यालय, पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त, (प्रभारी) पदाधिकारी, किशनगंज अंचल, किशनगंज
4	श्री संजीत कुमार	42वीं/243	जमुई	राज्य कर संयुक्त आयुक्त आर्थिक अन्वेषण इकाई, वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय, पटना	राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) गोपालगंज, अंचल, गोपालगंज

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

30 जून 2020

सं० 6/वि०पत्रा०-24-12/2020-1181—वाणिज्य कर विभाग के राज्य कर अपर आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-6 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

क्र.	पदाधिकारी का नाम	बैच संख्या	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
1	श्री विनोद पाठक	34वीं/49	भोजपुर	राज्य कर अपर आयुक्त भागलपुर प्रमंडल अपील	राज्य कर अपर आयुक्त (अपील) पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना
2	श्री राजेश कान्त झा	34वीं/57	मधुबनी	राज्य कर अपर आयुक्त पटना पश्चिमी प्रमंडल, अपील	राज्य कर अपर आयुक्त (अपील) मगध प्रमंडल, गया
3	श्री मार्कण्डेय ओझा	34वीं/58	भोजपुर	राज्य कर अपर आयुक्त मुख्यालय, पटना एवं मगध प्रमंडल (प्र०) का अतिरिक्त प्रभार	राज्य कर अपर आयुक्त (प्र०) पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना
4	श्री संतोष कुमार	34वीं/59	मधुबनी	राज्य कर अपर आयुक्त (प्र०) पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना	राज्य कर अपर आयुक्त (प्र०) मगध प्रमंडल, गया
5	श्री विपिन कुमार सिंह	35वीं/66	बेगूसराय	राज्य कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ	राज्य कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा
6	श्री राजेश कुमार सिंह	35वीं/67	बौका	राज्य कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना	राज्य कर अपर आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना
7	श्री सुरेश प्रसाद	35वीं/68	भोजपुर	राज्य कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना	राज्य कर अपर आयुक्त (अपील) दरभंगा प्रमंडल दरभंगा
8	श्री रामाधार सिंह	36वीं/69	बेगूसराय	राज्य कर अपर आयुक्त (प्र०) भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर	राज्य कर अपर आयुक्त (प्र०) पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना
9	श्री सतेन्द्र कुमार सिंह	36वीं/71	सहरसा	राज्य कर अपर आयुक्त (प्र०) केन्द्रीय प्रमंडल, पटना	राज्य कर अपर आयुक्त (प्र०) भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर
10	श्री अशोक कुमार झा	36वीं/73	मधुबनी	राज्य कर अपर आयुक्त अपील केन्द्रीय प्रमंडल, पटना	राज्य कर अपर आयुक्त मुख्यालय, पटना

11	श्री सुनील कुमार सिंह	36वीं / 80	पटना	राज्य कर अपर आयुक्त केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पटना	राज्य कर अपर आयुक्त (प्र०) दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा
12	श्री राजेश कुमार	36वीं / 82	मुंगेर	राज्य कर अपर आयुक्त आर्थिक अन्वेषण इकाई, वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय, पटना	राज्य कर अपर आयुक्त आर्थिक अन्वेषण इकाई, वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय, पटना के अतिरिक्त केन्द्रीय प्रमण्डल (प्र०) का अतिरिक्त प्रभार
13	श्री सज्जन रूंगटा	36वीं / 83	पूर्णिया	राज्य कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	राज्य कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना
14	श्री सुजय प्रकाश उपाध्याय	36वीं / 84	पटना	राज्य कर अपर आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय, पटना	राज्य कर अपर आयुक्त अपील केन्द्रीय प्रमण्डल, पटना
15	श्री शशि रंजन कुमार	36वीं / 100	सीतामढ़ी	राज्य कर अपर आयुक्त वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय पटना	राज्य कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण) पटना पश्चिमी प्रमण्डल, पटना
16	प्रणव बोध रूंगटा	36वीं / 106	भागलपुर	राज्य कर अपर आयुक्त वाणिज्य-कर विभाग, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ मुख्यालय, पटना	राज्य कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना
17	श्री विश्वनाथ पासवान	36वीं / 121	मुजफ्फरपुर	राज्य कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना	राज्य कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया
18	श्री अयोध्या पासवान	36वीं / 124	मुंगेर	राज्य कर अपर आयुक्त मगध प्रमंडल अपील	राज्य कर अपर आयुक्त भागलपुर प्रमंडल अपील, भागलपुर

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 13-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि

बिहार विधान सभा सचिवालय

शुद्धि-पत्र

30 जून 2020

सं० 1स्था०-41/2020-796/वि०स०।-बिहार विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना सं०-336, दिनांक 25.02.2020 के क्रम संख्या 1 के कॉलम-5 में 'जाथेरी' के स्थान पर 'जठेड़ी', 'राय' के स्थान पर 'राई' एवं क्रम सं०-8 के कॉलम-5 में 'बुदौल' (बीघा पर) के स्थान पर 'बुधौल' (बिगहा पर) पढ़ा जाय।

आदेश से,

विमलेन्दु भूषण कुमार, अवर सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

शुद्धि-पत्र

3 जुलाई 2020

सं० 6/वि०पत्रा०-24-12/2020-1227-वाणिज्य-कर विभाग के राज्य-कर सहायक आयुक्त कोटि के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या-1152 दिनांक 24.06.2020 के क्रमांक 05 के कॉलम-2 में पदाधिकारी का नाम "श्री कृष्ण मोहन सिंह" के स्थान पर "श्री कृष्ण मोहन सिंह" एवं क्रमांक 28 के कॉलम-5 में वर्तमान पदस्थापन स्थान "तिरहुत प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो मुजफ्फरपुर" के स्थान पर "मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल, मुजफ्फरपुर" पढ़ा जाय।

2. उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

3 जुलाई 2020

सं० 6/वि०पत्रा०-24-12/2020-1228/वाणिज्य-कर विभाग के राज्य-कर संयुक्त आयुक्त कोटि के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या-1153 दिनांक 24.06.2020 के क्रमांक 27 के कॉलम-5 में वर्तमान पदस्थापन स्थान "प्रभारी, सारण प्रमंडल, छपरा" के स्थान पर "प्रभारी, गोपालगंज अंचल, गोपालगंज" एवं क्रमांक 30 के कॉलम-5 में वर्तमान पदस्थापन स्थान "राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, मगध प्रमंडल अन्वेषण ब्यूरो, गया" के स्थान पर "राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, कर्मनाशा समेकित जाँच चौकी प्रतिनियुक्ति मगध प्रमंडल, अन्वेषण ब्यूरो, गया" पढ़ा जाय।

2. उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

3 जुलाई 2020

सं० 6/वि०पत्रा०-24-12/2020-1226-वाणिज्य-कर विभाग के राज्य-कर उपायुक्त कोटि के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या-1154 दिनांक 24.06.2020 के क्रमांक 09 के कॉलम-4 में गृह जिला "पटना" के स्थान पर "भोजपुर" पढ़ा जाय।

2. उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 13-571+15-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 858—I, Bhanu Pratap Dwivedi, R/o At+PO-Mahammadpur, PS-Manjhi, Dist-Saran do hereby declare that vide Affidavit No.-2650, dated 11.06.2020 my daughter Bhuvu shall henceforth be known as Bhuvu Acharya.

Bhanu Pratap Dwivedi.

सं० 859—मैं प्रभा कुमारी, पति सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, निवासी आमगोला, पड़ाव पोखर, मुजफ्फरपुर। शपथ पत्र सं. 20384 दिनांक 10.06.20 से मैं प्रभा देवी के नाम से जानी जाऊंगी।

प्रभा कुमारी।

सं० 860—मैं, सदीका खातून, पति-स्वर्गीय अब्दुल रशीद, पिता-स्वर्गीय हिंगू मियां, स्थायी निवासी-खानमिर्जा, थाना-सुलतानगंज, पो.-महेन्द्र, जिला-पटना-800006, बिहार, शपथ पत्र संख्या- 17049, दिनांक- 15.02.2020 के माध्यम से घोषणा करती हूँ कि सदीका खातून एवं सिद्दीका खातून दोनों नाम मेरा ही है।

सदीका खातून।

No. 860—I, **SADIQA KHATOON**, W/o-Late Abdul Rashid, D/o-Late Hingu Mian, R/o-Khanmirza, PS-Sultanganj, PO-Mahendru, Patna-800006, Bihar declare vide Aff. no.-17049, dated 15.02.2020, that my both names SADIQA KHATOON and SIDDIQUA KHATOON is one and the same person.

SADIQA KHATOON.

सं० 861—मैं, माह तलत परवीन जौजे मो.रफीक आलम, निवास मोहल्ला- खलीलपुरा, पो.+थाना-फुलवारीशरीफ, वार्ड न.-03, अनुमंडल-दानापुर, जिला-पटना का, मेरा नाम मालगुजारी रसीद में 'महे तलत परवीन' अंकित है, जो अशुद्ध है, शपथ पत्र सं.-4953 दिनांक 02.03.2020 द्वारा घोषणा करती हूँ कि सभी सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजों में मुझे 'माह तलत परवीन' के नाम से संबोधित किया जाय।

माह तलत परवीन।

सं० 865—मैं अरुण तिवारी, पिता-स्व० पूरण चन्द तिवारी, वर्तमान पता-अफसर कॉलोनी, कोर्ट एरिया, नियर दुर्गा स्थान, बाढ़, पटना-803213, बिहार शपथ पत्र सं०-28 तिथि-19 जून 2020 द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वर्तमान में अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के पद पर व्यवहार न्यायालय बाढ़ में पदस्थापित हूँ। मुझे मानद उपाधि एल०एल०डी० (पी०एच०डी०) से अलंकृत होने के पश्चात् श्री अरुण तिवारी की जगह डा० अरुण तिवारी के नाम से जाना जाय।

अरुण तिवारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 13-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक (अ०)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

कार्यालय आदेश सं० ग्रा०वि०-14 (भा०) भा०-01/2019-270698
ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

25 जून 2020

श्री सुनील कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पीरपैती, भागलपुर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-09 प्र० दिनांक 23.03.2019 के द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ। आरोप पत्र के आलोक में संकल्प ज्ञापक-421736 दिनांक 26.04.2019 द्वारा निलंबित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत श्री कुमार से जाँच प्रतिवेदन पर लिखित अभ्यावेदन की माँग की गई। संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं श्री कुमार के द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के अभिमत से सहमत होते हुए श्री कुमार को निलंबन मुक्त कर चेतावनी का दंड देने का निर्णय लिया गया है।

अतः श्री सुनील कुमार तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पीरपैती, भागलपुर सम्प्रति निलंबित को चेतावनी का दण्ड देते हुए उन्हें निलंबन मुक्त किया जाता है तथा उन्हें मुख्यालय में योगदान करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि चेतावनी के दंड की प्रविष्टि श्री सुनील कुमार के सेवापुस्त में की जाय।

श्री कुमार के निलंबन अवधि के वेतनादि के संबंध में अलग से निर्णय लिया जाएगा।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल रंजन महिवाल, विशेष सचिव।

सं० 08/आरोप-01-317/2014, सा०प्र०-5885
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

19 जून 2020

श्री ब्रज किशोर सदानन्द, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-844/11 के विरूद्ध वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, किशनगंज के पदस्थापन काल में जिला गोपनीय प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी की हैसियत से कार्य करते हुए जिला पदाधिकारी, किशनगंज के मौखिक आदेश का हवाला देते हुए श्री राजीव रंजन, कार्यपालक अभियंता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किशनगंज (सम्प्रति सेवा मुक्त) के माध्यम से मनरेगा कर्मियों से एक बड़ी राशि की अवैध वसूली करने तथा मामला प्रकाश में आने पर मनरेगा कर्मियों से अवैध वसूल की गयी राशि को वापस किये जाने संबंधी आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक-15 दिनांक 30.11.2014 द्वारा आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

उक्त के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र (प्रपत्र-क) की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-14082 दिनांक 18.09.2015 द्वारा श्री सदानंद से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री सदानंद का स्पष्टीकरण (दिनांक 04.01.2016) प्राप्त हुआ।

विभागीय पत्रांक-12531 दिनांक 14.09.2016 द्वारा श्री सदानंद से प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, किशनगंज से मंतव्य की माँग की गयी। जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक-374 दिनांक 19.02.2020 द्वारा मंतव्य प्राप्त

हुआ। श्री सदानंद के स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा दिया गया मंतव्य तथा त्रि-सदस्यीय जाँच कमिटी के जाँच प्रतिवेदन में अंकित मंतव्य परस्पर विरोधाभासी पाया गया। जिसके फलस्वरूप मामले की गम्भीरता को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा वृहद जाँच की आवश्यकता पायी गयी।

2. अतएव सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि श्री ब्रज किशोर सदानन्द, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-844/11 के विरुद्ध गठित उक्त आरोपों की वृहद जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-17 (2) में विहित रीति से करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ तथा उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी होंगे।

3. श्री सदानंद से अपेक्षा की जाती है वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
शिव महादेव प्रसाद, अवर सचिव।

सं० 08/आरोप-01-27/2018,सा०प्र०-6371

संकल्प

30 जून 2020

श्री वीरेन्द्र कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-896/11, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बेतिया के विरुद्ध कमीशन नहीं देने के कारण पारित अभिश्रव का भुगतान रोके रखने जाने संबंधी आरोपों के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4628 दिनांक 28.08.2018 द्वारा आरोप पत्र [माननीय सदस्य (न्यायिक) लोकायुक्त द्वारा दिनांक 06.09.2018 को पारित आदेश की प्रति सहित] अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

उक्त के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-16768 दिनांक 21.12.2018 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार का स्पष्टीकरण (दिनांक 18.09.2019) प्राप्त हुआ।

विभागीय पत्रांक-14069 दिनांक 15.10.2019 द्वारा श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर नगर विकास एवं आवास विभाग से मंतव्य की माँग की गयी। नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-1954 दिनांक 04.06.2020 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। जिसके फलस्वरूप मामले की गम्भीरता को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा वृहद जाँच की आवश्यकता पायी गयी।

2. अतएव सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि श्री वीरेन्द्र कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-896/11 के विरुद्ध गठित उक्त आरोपों की वृहद जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-17 (2) में विहित रीति से करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर तथा उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी होंगे।

3. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
शिव महादेव प्रसाद, अवर सचिव।

सं० 08/आरोप-01-29/2019,सा०प्र०-6372

संकल्प

30 जून 2020

श्री सुखदेव प्रसाद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-662/11 (सम्प्रति सेवानिवृत्त), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मशरक के पद पर पदस्थापन काल में इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने, जानबुझकर लापरवाही एवं कोताही बरतने तथा सरकारी राशि के दुर्विनियोग करने संबंधी आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-114 दिनांक 14.08.2019 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए अनुशासनिक कार्रवाई का अनुरोध किया गया।

जिला पदाधिकारी से प्राप्त आरोप पत्र को विभागीय स्तर पर पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-15416 दिनांक 14.11.2019 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 (बी०) के तहत श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। स्मरणोपरांत श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। तदुपरांत पूरे मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी एवं पाया गया कि विषयांकित मामला माननीय लोकायुक्त बिहार द्वारा पारित आदेश से आच्छादित है तथा श्री प्रसाद द्वारा अबतक स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है।

2. अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री सुखदेव प्रसाद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-662/11 (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध आरोपों की विस्तृत जाँच बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी०) के तहत कराने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा तथा उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होंगे।

3. श्री प्रसाद से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिव महादेव प्रसाद, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 13-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>